प्रशासनिक प्रतिवेदन

2007-08

वन विभाग, राजस्थान

* प्राक्कथन
* विभाग के प्रमुख उद्देश्य
* 12वीं विधानसभा के सप्तम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की क्रियान्विति
* मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2007–08 के बजट भाषण में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति
* चार वर्षीय वानिकी विकास: एक दृष्टि में

1 राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय
2 प्रशासनिक तंत्र एवं कार्य प्रणाली
3 वन सुरक्षा
4 वानिकी विकास
5 भू एवं जल संरक्षण
6 वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्ध

7 कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त
8 वन अनुसंधान
9 विभागीय कार्य
10 तेन्दू पत्ता योजना
11 सूचना प्रौद्योगिकी
12 मानव संसाधन विकास
13 संचार एवं प्रसार
14 सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध
15 16वीं अखिल भारतीय वन खेल–कूद प्रतियोगिता
16 परिशिष्ट

प्राक्कथन

हमारा प्रदेश राजस्थान भारत वर्ष का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है किन्तु प्रदेश का वन क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 9.51 प्रतिशत ही है जबकी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इसका 33 प्रतिशत होना अपेक्षित है। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या विशेषकर आदिवासी एवं महिला समुदाय अपनी आजीविका व रहन–सहन के लिए वनों पर ही निर्भर है। प्रदेश के 65 प्रतिशत लोग अभी भी ईंधन के लिए वनों पर आश्रित हैं । राज्य की जनसंख्या व पशु संख्या में भी आजादी के बाद क्रमश: 253 व 68 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राज्य के वनों पर इस बढ़े हुए जैविक दबाव का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थलीय होने व जलवायु के शुष्क व अर्द्ध शुष्क होने से भी वन विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य का वन विभाग अपने सीमित संसाधनों से राज्य के मौजूदा वन क्षेत्रों की सुरक्षा व वन विकास के लक्ष्य को पाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। इस वित्तीय वर्ष में भी राज्य वन विभाग ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

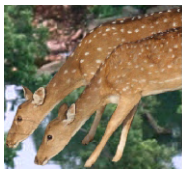

- **उदयपुर क्षेत्र में, सहरिया विकास योजना की भांति, 396 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के साथ 41,000 हैक्टेयर वन भूमि पर क्लोजर विकसित किए गए।**
- **आदिवासी क्षेत्र उदयपुर में वन–आश्रित समुदायों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुटीर उद्योग पनपाने के प्रयास ।**
- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 जिलों में दिसम्बर, 2007 तक 62.58 लाख से अधिक मानव दिवसों के रोजगार का सृजन।**
- **इस वर्ष वानिकी गतिविधियों से दिसम्बर, 2007 तक 99 लाख मानव दिवसों के रोजगार का सृजन।**
- **वन विभाग ने 1204 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। ये समूह विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। इनमें से 607 समूह महिलाओं के हैं।**
- **राज्य में कुल 4882 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां 7.79 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का प्रबन्ध कर रही हैं।**
- **बांस विदोहन से बांसवाड़ा जिले की 6 समितियों को दो वर्ष में 5 लाख 44 हजार से अधिक की हिस्सा राशि मिली।**
- **इस वर्ष जयपुर जिले के बड़ोदिया ग्राम में प्रबन्ध योजना के अनुरूप वृक्षारोपण विदोहन हेतु ग्राम पंचायत ने 79 लाख रु. में नीलाम किया। पंचायत से हुए इकरारनामें के अनुसार विभाग व पंचायत प्रत्येक को 39.5 रुपये प्राप्त होंगे।**
- **विभाग में इस वर्ष 40 व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई।**
- **वन एवं वन्य जीव सुरक्षा हेतु 619 भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति।**
- **वन सुरक्षा के लिए 7500 मीनारे व 44 किमी. दीवार, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नाहरगढ़ व झालाना में 8790 रनिंग मीटर दीवार का निर्माण कार्य प्रगति पर।**
- **काष्ठ हस्तकला के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए दिसम्बर, 07 तक 336 लघु आरा मशीनों को अनुज्ञा पत्र दिए गए।**

- विशेष प्रयास कर इस वर्ष 14987 हैक्टेयर वन भूमि का अमल दरामद किया गया।
- रणथम्भौर में तीन बाघों को रेडियो कालर लगाए गए।
- रणथम्भौर में जल एवं मृदा संरक्षण के लिए 11 करोड़ रुपये की परियोजना बनाई गई।
- सरिस्का बाघ परियोजना में भगानी गांव को बर्डोद रूंध में बसाया गया।
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 70 करोड़ की परियोजना तैयार की गई।
- राज्य के तीन जैविक उद्यानों, सज्जनगढ़, उदयपुर, नाहरगढ़, जयपुर माचिया, जोधपुर व अभेड़ा, कोटा का मास्टर ले–आउट प्लान स्वीकृत।
- राज्य में बीसलपुर (टोंक) व सुन्धा माता (जालौर) को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित करने का निर्णय।
- इस वर्ष तेन्दू पत्ता नीलामी से 16.62 करोड़ रु. की आय प्राप्ति का अनुमान।
- जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के 9.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से जूली फ्लोरा का उन्मूलन जनसहभागिता से हुआ।
- गुगल को विलुप्ति के खतरे से बचाने के लिए राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से 679.35 लाख की विशेष परियोजना।

मुझे यह बताते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि वन विभाग के प्रयासों व साझा वन प्रबन्ध की अवधारणा के अनुरूप राज्य के लोगों की जन सहभागिता का ही परिणाम है कि उपग्रह सर्वेक्षण वर्ष 2005 में राज्य का वनावरण वर्ष 2003 के मुकाबले 29 वर्ग किमी. बढ़ा हुआ पाया गया है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वन क्षेत्रों से बाहर वृक्षावरण में भी राज्य का स्थान पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मैं राज्य की जनता द्वारा उपलब्ध कराये गये सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा वन कर्मियों के प्रयासों की सराहना करता हूँ।

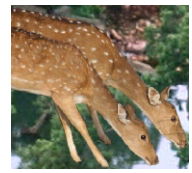

इस प्रशासनिक प्रतिवेदन को सचित्र बनाने में मुख्य वन संरक्षक एस.एस. चौधरी, ए. के. उपाध्याय; उप वन संरक्षकगण आर.एस. शेखावत, जी. एस. भारद्वाज, ए. एस. चौहान, के. पी. गुप्ता, सुनयन शर्मा, मनोज पाराशर एवं शिवचरण गुप्ता; सहायक वन संरक्षकगण जे. पी. भाटी, गिरिश पुरोहित, एम. सी. गुप्ता, विष्णु शर्मा; क्षेत्रीय वन अधिकारी डॉ. सतीश कुमार शर्मा, देवेन्द्र कुमार भारद्वाज व अनुराग भटनागर तथा वनपाल रमेशचन्द्र शर्मा, राजेश शर्मा, महेन्द्र कुमार सक्सैना, फिरोज हुसैन, एच.एल. पानेरी तथा रणथम्भौर के प्रकृतिविद् एम. डी. पाराशर का सहयोग प्रशंसनीय रहा है।

अल्प समय में सूचनाएं संकलित कर इस प्रशासनिक प्रतिवेदन को तैयार करने व प्रकाशित कराने में सहायक वन संरक्षक पी. के. पाण्डेय, वनपाल डॉ. राकेश कुमार शर्मा एवं रमेशचन्द्र शर्मा ने कठोर परिश्रम किया है। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ।

अन्त में मानवीय त्रुटियों के लिए क्षमा व सुझावों की अपेक्षा में।

(अभिजीत घोष)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

विभाग के प्रमुख उद्देश्य

► दूरदृष्टि (Vision) :

- उपलब्ध वन एवं वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण एवं जन–सहभागिता से इनका विकास।
- राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थायित्व कायम करना।
- प्रदेशवासियों को वानिकी क्रियाकलापों के माध्यम से उत्पन्न प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफलों से लाभान्वित करना।

आंवला वृक्षारोपण, रेंज जावदा

► लक्ष्य (Targets) :

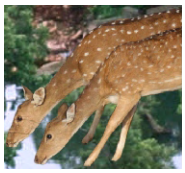

- टिकाऊ वन प्रबन्धन।
- वन एवं वृक्ष आच्छादन में वृद्धि।
- जैव–विविधता एवं जीन पूल का संरक्षण।
- मरुस्थलीकरण की रोकथाम।
- सूखे से निजात।
- परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना एवं बंजर भूमि की उत्पादकता में वृद्धि।
- निर्धन एवं पिछड़े लोगों को जीविकोपार्जन सुरक्षा प्रदान करना।
- वन उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाना।
- पारिस्थितिकीय–पर्यटन (Eco-tourism) को बढ़ाना।

जल संरक्षण संरचना

➤ रणनीति (Strategy) :

- विस्तृत वनीकरण एवं चारागाह विकास।
- वृक्षावली–वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरु प्रसार की रोकथाम।
- जीव–जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा–स्थान ***(in-situ)*** एवं बाह्य–स्थान ***(ex-situ)*** संरक्षण।
- कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षों का रोपण।
- वन क्षेत्र में मृदा संरक्षण कार्य।
- उन्नत तकनीक अपनाना।
- प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदोहन उपरान्त पुनः वृक्षारोपण।

ऐलोवेरा (ग्वारपाठा) वृक्षारोपण, कोडियात

- प्रकृति–पर्यटन स्थलों के चिन्हीकरण उपरान्त, विकसित कर उन्हें विरासत–पर्यटन के साथ जोड़ना।
- मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
- साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तीकरण।
- जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना।

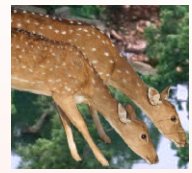

परकोलेशन टैंक, डागल

अग्रिम मृदा कार्य, कोडियात

मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2007–08 के बजट भाषण में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति

क्र. सं.	बजट भाषण के पैरा संख्या	विवरण	क्रियान्विति
1.	95	• राज्य में बायो–फ्यूल प्लांटेशन को बढ़ावा देने में वन विभाग भी वन भूमियों पर NREGS में उपलब्ध राशि का उपयोग कर तेल कम्पनियों व आर. एस. एम. एम. से खरीद की गारण्टी के आधार पर रतनजोत के 1 करोड़ पौधे रोपित किये जायेंगे।	• रजनजोत के 124 लाख पौधे बीजारोपण/कटिंग तथा रोपण से लगाये जा चुके हैं। पौधारोपण कार्य प्रगति पर है। • कम्पनी/सहकारी समिति/वन विकास अभिकरण/ग्राम्य वन सुरक्षा समिति तथा वन विभाग से रतनजोत को विकसित करने हेतु किये जाने वाले दिशा–निर्देश एवं एम.ओ.यू. जारी किये जा चुके हैं। आर. एस. एम. एम. से किये जाने वाला करार नहीं किया जा सका है क्योंकि वर्तमान मार्केट दर न्यूनतम खरीद दर से अधिक है।
2.	111	• आगामी वर्ष में वानिकी विकास की योजनाओं के अन्तर्गत 55 हजार हैक्टेयर भूमि में नया प्लांटेशन किया जायेगा। • जनजातीय क्षेत्रों में Joint Forest Management Pattern पर 40 हजार हैक्टेयर में closures विकसित किये जायेंगे।	• वानिकी विकास योजनाओं के अन्तर्गत 83134 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। • जनजातीय क्षेत्रों में Joint Forest Management Pattern पर 45581 हैक्टेयर क्षेत्र में क्लोजर निर्माण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा 10850 हैक्टेयर क्षेत्र में closures निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। 29150 हैक्टेयर क्षेत्र में क्लोजर निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
3.	112	• ताल–छापर अभयारण्य को विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।	• तालछापर अभयारण्य को विकसित किये जाने हेतु इस वर्ष रुपये 134.00 लाख का प्रावधान रखा है इसमें से रु. 42 लाख आर.एस.आर. डी.सी. को हस्तान्तरित कर दिये जावेंगे। सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है। वन विभाग द्वारा रुपये 8.68 लाख के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

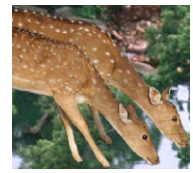

क्र. सं.	बजट भाषण के पैरा संख्या	विवरण	क्रियान्विति
		• बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण यह आवश्यक हो गया है कि नाहरगढ़ और झालाना जैसे संरक्षित वनों की सुरक्षा के लिए बाउण्ड्रीवाल बनाई जाये। आगामी वर्ष इस कार्य हेतु एक करोड़ 28 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।	• नाहरगढ़ और झालाना संरक्षित वनों की सुरक्षा हेतु 8790 रनिंग मीटर दीवार बनाई जा चुकी है तथा राशि रुपये 124 लाख का व्यय किया गया है। कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जावेगा।
		• सरिस्का, रणथम्भौर अभयारण्य और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की आवश्यकताओं को देखते हुए, इनके प्रबन्ध के लिए राजस्थान वन्य जीव प्रबन्धन एवं विकास मण्डल का गठन किया जायेगा।	• वन्य जीव अधिनियम में हुए संशोधन से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का प्रावधान रखा गया है। अत: राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो बोर्ड / फाउण्डेशन के संविधान का पुन: प्रारूपण करेगी।
		• इसी प्रकार eco-tourism को बढ़ावा देने की दृष्टि से eco-tourism policy शीघ्र ही जारी की जायेगी।	• राज्य की eco-tourism policy तैयार कर ली गयी है एवं मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।
4.	181.	• काफी समय से नई भर्ती नहीं होने से वनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त फोरेस्ट गार्ड उपलब्ध नहीं हैं। अतः वन विभाग को पुलिस और जेल विभाग की तर्ज पर भूतपूर्व सैनिकों से forest guards के अधिकतम 1000 पद भरने की कार्यवाही की जायेगी।	• वर्तमान में 619 भूतपूर्व सैनिक कार्य कर रहे हैं। वित्त विभाग को आयु में शिथिलता एवं दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रस्ताव भेजे गये हैं ताकि और भूतपूर्व सैनिकों को कार्य हेतु आकर्षित किया जा सकें।

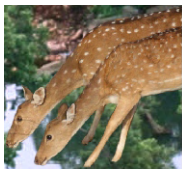

बायो फ्यूल–रतनजोत के बीजारोपण से अंकुरित पौधे

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वन सुरक्षा हेतु निर्मित दीवार

12वीं विधान सभा के सप्तम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में वन विभाग से संबंधित बिन्दुओं की क्रियान्विति

बिन्दु सं.	घोषणा	क्रियान्विति
169.	पिछले तीन वर्षों में हरियाली बढ़ाने के लिए 1,83,990 हैक्टेयर क्षेत्र में पंचायत भूमि, पड़त भूमि एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया गया तथा गैर वन भूमि पर वृक्षाच्छादन हेतु कृषि वानिकी के तहत 376 लाख पौधे किसानों, निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं तथा राजकीय विभागों को वितरित किये गये। इस वर्ष 83,713 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य तथा कृषि वानिकी के तहत 138 लाख पौधों का वितरण अब तक किया गया है।	वर्ष 2006–07 में 83,898 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य तथा 144.15 लाख पौधों का वितरण कृषि वानिकी के तहत किया गया है।
170	वानिकी विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्ष में 424 लाख मानव दिवसों का सृजन कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष 2006–07 के दौरान अब तक 140 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ है।	वर्ष 2006–07 के दौरान अब तक 185 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ है।
171	राजस्थान में सहरिया एवं जनजाति क्षेत्र में इस वर्ष 45,000 हैक्टेयर पर क्लोजर्स निर्माण का कार्य किया जाकर स्थानीय वन सुरक्षा समितियों को रोजगार के साथ–साथ घास एवं अन्य लघु वन उपज उपलब्ध करायी गयी है।	राजस्थान में सहरिया एवं जनजाति क्षेत्रों में वर्ष 2006–07 में 45,093 हैक्टेयर पर क्लोजर्स निर्माण का कार्य किया जाकर स्थानीय वन सुरक्षा समितियों को रोजगार के साथ–साथ घास एवं अन्य लघु वन उपज उपलब्ध करायी गयी है।
172	मृदा एवं जल संरक्षण हेतु इस वर्ष 6,348 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	मृदा एवं जल संरक्षण हेतु वर्ष 2006–07 में 8620 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य करवाया गया।

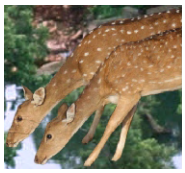

महामहिम राज्यपाल एस. के. सिंह, मण्डल वन अधिकारी बांसवाड़ा के. पी. गुप्ता से वानिकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हुए

चार वर्षीय वानिकी विकास : एक दृष्टि में

अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियां

❁ वनीकरण :

- वन आच्छादन वृद्धि हेतु 2,35,433 हैक्टर वन, पंचायत व पड़त भूमि पर विभिन्न प्रकार के वनारोपण कार्य सम्पन्न।
- गैर–वनभूमि पर वृक्ष आच्छादन हेतु कृषि वानिकी के तहत 4.77 करोड़ पौधे इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को वितरित।
- 43.86 लाख पौधे विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं के माध्यम से वितरित।
- भावी पीढ़ी को पर्यावरण व वृक्षारोपण से जोड़ने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत पौधे विद्यार्थियों के माध्यम से वितरित किए जाने एवं छात्राओं को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान।
- पोलिथीन–थैलियों की अपेक्षा रूट ट्रेनर में उच्च गुणवत्ता की पौध तैयारी हेतु विभाग द्वारा 22 हाइटेक नर्सरियों का निर्माण।
- वन क्षेत्र के आस–पास रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए जनभागीदारी से वन विकास के उद्देश्य से 22 वन विकास अभिकरणों यथा पाली, धौलपुर, झुन्झुनूं, भरतपुर, हनुमानगढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, जालौर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, चूरू, छत्तरगढ़ (बीकानेर), राजसमन्द, बाड़मेर, दौसा एवं अलवर सहित राज्य के सभी जिलों में वन विकास अभिकरण गठित।
- चरागाह पारिस्थितिकी विकास एवं जीन पूल के संरक्षण हेतु ''प्रोजेक्ट बस्टर्ड'' तैयार कर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।

❁ औषधीय उद्यानों की स्थापना :

- झालावाड़ जिले के ठंडी झीर स्थान में 'हर्बल गार्डन' स्थापित।
- झालावाड़ जिले में तीन और औषधीय उद्यान स्थापित।
- औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु अजमेर जिले के सलेमाबाद में मुख्यमंत्री महोदया के कर–कमलों द्वारा तुलसी के पौधों का वितरण।

❁ मृदा एवं जल संरक्षण :

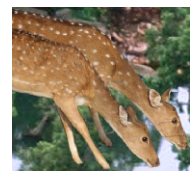

- वर्षा–जल–संग्रहण बाबत 32735 एनीकट, साद अवरोधक बंध, ड्रॉप स्पिलवे, नाड़ी, परकोलेशन टैंक, गेबियन स्ट्रक्चर, आदि वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण।
- लूणी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरूद्धार हेतु 1007.50 करोड़ रुपये लागत की परियोजना भारत सरकार को प्रेषित।
- प्रथम चरण में 2.30 लाख हैक्टर क्षेत्र को उपचारित करना प्रस्तावित।

❁ वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रकृति–पर्यटन का विकास :

- कोटा जिले के दरा एवं चम्बल अभयारण्य क्षेत्रों की जैव–विविधता तथा हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के समुचित/सर्वांगीण विकास के लिए मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दरा की स्थापना।
- वन्य जीवों के शिकार की रोकथाम के प्रयास के लिए मुख्यालय पर एक विशेष सेल का गठन किया गया है। सरिस्का बाघ परियोजना में गत वर्षों में 379 रेड्स की गईं तथा रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में 478 रेड्स आयोजित की गईं। सरिस्का बाघ

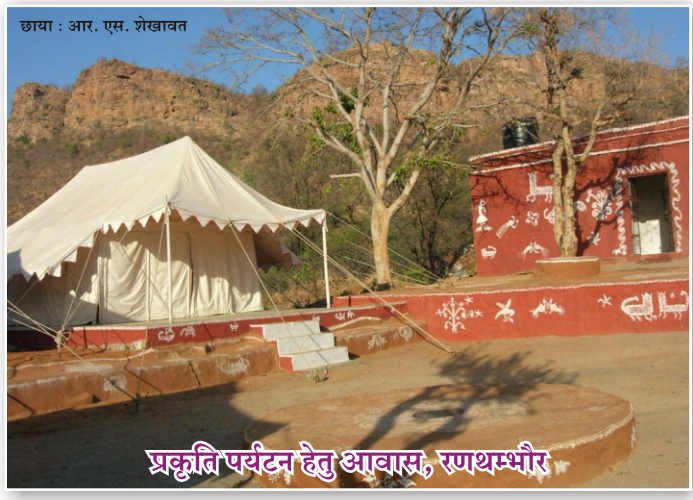

परियोजना में बाघ के शिकार के 13 प्रकरण तथा बघेरे के 24 प्रकरण दर्ज कर शिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई तथा 32 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में वन्य जीव शिकार के राज्य में 127 प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कोर्ट में चालान प्रस्तुत किये गये हैं।

- बाघ परियोजना रणथम्भौर में बाघों के आवास (हैबिटेट) में सुधार के विशेष प्रयास किये गये जिससे बाघों में प्रजनन होकर 13 बाघ शावकों का जन्म हुआ है।
- राज्य सरकार की पहल एवं प्रयासों से, भारत सरकार के अनुरोध पर दलाईलामा द्वारा तिब्बतवासियों को वन्यजीवों के अंगों से बनी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प।
- वन्यजीवों के संरक्षण संबंधी उपयुक्त एवं समुचित भावी प्रबंधन के लिए वन्य जीवों तथा उनके आवास–क्षेत्रों की वस्तुस्थिति का आकलन प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति से।
- संकटापन्न गिद्ध प्रजाति को बचाने हेतु बीमार मवेशियों के उपचार के लिये उपयोग में ली जाने वाली डाई–क्लोरोफिनेक दवा का प्रयोग प्रतिबंधित।
- वन्यजीवों द्वारा जन–हानि पर पीड़ित परिवार को राहत स्वरूप मुआवजा राशि 15,000/– से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये देने का निर्णय।
- रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को, सनिष्ठ–कर्तव्य–निर्वहन प्रोत्साहन स्वरूप, एक अप्रैल, 2004 से 350/– रुपये प्रतिमाह की दर से परियोजना भत्ता स्वीकृत।

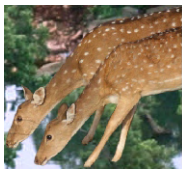

- तालछापर अभयारण्य के समग्र विकास की 474.45 लाख रुपये लागत की योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ। अभयारण्य में 110 लाख रुपये लागत के वन्यजीव–प्राकृतिक आवास स्थल सुधार के कार्य प्रगति पर।
- सरिस्का में बाघों के 'रि–इन्ट्रोडक्शन' की रु. 460.70 लाख की योजना भारतीय वन्य जीव संस्थान के विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार बनाई जाकर केन्द्र सरकार को प्रेषित।
- राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक वर्ष 1998 के पश्चात् पुनः अक्टूबर, 2007 में आयोजित।
- पक्षियों के लिये विश्वविख्यात, केवलादेव–घना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में एक पक्षी एवं नमभूमि (Wetland) चेतना केन्द्र का निर्माण।
- प्रकृति पर्यटन के बढ़ावे के उद्देश्य से बागदरा क्षेत्र, उदयपुर को 'इको–ट्यूरिज्म' साइट के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय।
- नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर एवं सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर का विकास प्रगति पर।
- झालाना वन क्षेत्र का इको–ट्यूरिज्म पार्क के रूप में विकास। डियर पार्क, हाथी–सफारी मार्ग एवं औषधीय पौधों के बारे में जानकारी के लिए हर्बल ट्रेल आदि निर्माण कार्य प्रगति पर।
- चिड़ियाघर, जयपुर के रास्तों एवं पिंजरों का जीर्णोद्धार तथा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का विकास कार्य सम्पूर्ण।
- जयपुर शहर में स्मृति वन का द्रुत गति से विकास कर राज्य की जनता को लोकार्पण।
- प्रकृति–पर्यटन (Eco-Tourism) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति (Policy) तैयार एवं नेचर गाइड्स को प्रशिक्षण।

❁ साझा वन प्रबंधन सुदृढ़ीकरण एवं महिला सशक्तीकरण :

- 1304 नवीन स्वयं सहायता समूह गठित जिसमें से 557 नवीन महिला सहायता समूह गठित किये गये।
- ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति, धरियावद को

प्राकृतिक बांस क्षेत्रों की सुरक्षा उपरान्त विदोहन से 1,28,000/– रुपये का शुद्ध लाभांश प्राप्त।

- ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति, पलासमा, उदयपुर को बांस वृक्षारोपण के अंतिम विदोहन से 65,000/– रुपये शुद्ध लाभांश प्राप्त।

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति की बैठक

वन सुरक्षा एवं सीमांकन :

- 2,83,943 सीमा स्तम्भ (मीनारे) लगाये जाने के लिए 45.06 करोड़ रुपयों की लागत की मीनारों के निर्माण की योजना तैयार।
- 31197 मीनारों का निर्माण करवाया जा चुका है।
- 27 वन खण्डों की 10728.94 हैक्टर अवर्गीकृत वन भूमि का अन्तिम नोटिफिकेशन का प्रारूप तैयार।
- 1,22,266 हैक्टर वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद।
- प्रदेश के वानिकी इतिहास में वनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु एक साथ 17 जिलों की कार्य आयोजना लिखने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

रोजगार सृजन एवं जनजाति कल्याण :

- विभिन्न वानिकी क्रियाकलापों से 610.13 लाख श्रमिक मानव दिवसों का रोजगार सृजित।
- बारां जिले की अति प्राचीन जनजाति–सहरिया आदिवासी परिवारों को भुखमरी से उबार कर स्वावलम्बी बनाने हेतु वर्ष 2004 से प्रारम्भ योजनाओं में अब तक 7900 हैक्टर क्षेत्र में वन विकास कार्य सम्पन्न। इन कार्यों पर अब तक 9.97 लाख श्रमिक मानव दिवसों का रोजगार सृजित।
- जीविकोपार्जन सुरक्षा हेतु रतनजोत के 20 लाख पौधे, पौधारोपण एवं बीजारोपण से लगाये गये।
- उदयपुर संभाग के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों यथा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिलों में इस वर्ष 38,543 हैक्टर वनभूमि पर क्लोजर्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा वर्ष 2007–08 में 44,131 है. में क्लोजर निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये, जिसमें से 7,530 है. में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 30,152 है. में प्रगति पर है।
- वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को रोजगार के साथ–साथ निःशुल्क घास एवं लघु वन उपज भी प्राप्त।
- उदयपुर संभाग क्षेत्र में रतनजोत के लगभग 1 करोड़ पौधों का रोपण।
- जनजाति क्षेत्र में स्थानीय आदिवासियों को लाभान्वित करने हेतु लघु वन उत्पादों के संग्रहण, परिवहन व विपणन आदि की उचित व्यवस्था के लिए वन विभाग एवं राजसंघ के संयुक्त क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारित।
- स्थानीय दस्तकारों को आरा मशीन नियमों के सरलीकरण से हैण्डीक्राफ्ट्स एवं छोटी आरामशीन इकाइयों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा 1214 छोटी आरा मशीनों को लाइसेंस देने हेतु प्रकरण निस्तारित।

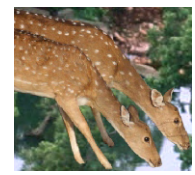

- मृतक राज्य कर्मचारियों के 204 आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गई।
- 1000 के विरुद्ध 416 भूतपूर्व सैनिकों को एक वर्ष के अनुबंध पर वनों की सुरक्षा हेतु रखा गया।

मानव संसाधन विकास एवं दक्षता अभिवृद्धि :

- विकास कार्यों के क्रियान्वयन में गुणात्मक सुधार हेतु 347 उच्च वन अधिकारियों, 203 क्षेत्रीय वन अधिकारियों व 1650 फील्ड कर्मचारियों को वानिकी प्रशिक्षण दिया गया।
- वानिकी विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु 9947 पंच–सरपंच, ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं गैर राजकीय संगठनों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।
- 114 कर्मचारियों एवं राज्य सेवा अधिकारियों को

पदोन्नत किया गया।

- 15वीं अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता माह फरवरी, 2007 में जयपुर में आयोजित की गई।
- 115 नवीन पद वनरक्षकों से सहायक वनपाल में पदस्थापन हेतु सृजित किया गया।
- 73 पद क्षेत्रीय वन अधिकारी से क्रमोन्नत कर सहायक वन संरक्षक बनवाने तथा विभाग के ढांचागत परिवर्तन के फलस्वरूप प्रत्येक डिवीजन में एकाधिक सब–डिवीजन का सृजन।

जन चेतना संचार :

- वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जागरूकता में अभिवृद्धि हेतु जन चेतना जागृति के लिए आकाशवाणी के एफ.एम. रेडियो चैनल पर वानिकी विज्ञापन एवं मिडियम वेव चैनल पर प्रत्येक बुधवार को वानिकी चौपाल कार्यक्रम अन्तर्गत ''धरा की पुकार'' का प्रसारण विभाग द्वारा प्रायोजित।
- किसान महोत्सव एवं जल चेतना यात्रा के दौरान समस्त जिलों में वानिकी एवं पर्यावरण जन चेतना जागृति सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न।
- 20 जिलों में जन चेतना जाग्रति हेतु वृक्ष मेलों का आयोजन।

प्रक्रिया सरलीकरण :

- ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र में अन्य विभागों द्वारा जल एवं मृदा संरक्षण कार्य कराने की अनुमति।
- गैर वन भूमि पर पूर्व में वन विभाग द्वारा करवाये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों का उपयोग अन्य गैर वानिकी विकास कार्यों हेतु किये जाने की सशर्त स्वीकृति का प्रावधान किया गया।
- कृषि वानिकी के अन्तर्गत कृषकों द्वारा निजी भूमि पर लगाये गये 8 प्रजातियों के वृक्षों को काटने एवं परिवहन की अनुमति से मुक्त किया गया।
- आरा मशीनों के मालिकाना हक को यथावत रखते हुए स्थान परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई।

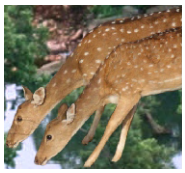

छाया सौजन्य : के. पी. गुप्ता

जय बजरंग स्वयं सहायता समूह द्वारा फूलों की खेती, करमोडा, बांसवाड़ा

राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय

23° 30' एवं 30° 11' उत्तरी अक्षांश तथा 69° 29' एवं 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 3 करोड़ 42 लाख हैक्टर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.51 प्रतिशत भू–भाग पर वन हैं। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, मरुस्थलीय या अर्द्धमरुस्थलीय है और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान हैं।

पारिस्थितिकीय तंत्र :

राज्य की जलवायु परिस्थितियों एवं वन–वनस्पति के आधार पर राज्य को निम्न चार मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों में बांटा गया है :–

राज्य के भौतिक प्रदेश (Physiographic Regions)

- पश्चिमी मरुस्थल
- अरावली पर्वतमाला क्षेत्र
- पूर्वी मैदानी भाग
- बनास सिंचित क्षेत्र
- चप्पन सिंचित क्षेत्र
- दक्षिणी–पूर्वी पठार

मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्र (Major Ecosystems)

- मरुस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र
- नहरी–सिंचित क्षेत्र
- असिंचित क्षेत्र
- लूणी बेसिन
- अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकीय तंत्र
- उत्तरी अरावली प्रदेश
- मध्य अरावली प्रदेश
- दक्षिणी अरावली प्रदेश
- पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र
- बनास बेसिन
- माही बेसिन
- बाण गंगा बेसिन
- साहिबी बेसिन
- गम्भीरी बेसिन
- वराह / बराह बेसिन
- हाड़ौती पठार एवं कंदरा पारिस्थितिकीय तंत्र
- चम्बल बेसिन
- डांग क्षेत्र

भू-उपयोग :

राज्य के विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रकार से भू–उपयोग हो रहा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। राज्य के विभिन्न भागों में अधिकांशतः भू–उपयोग, क्षेत्र में व्याप्त भूमि एवं जल स्रोतों की उपलब्धता तथा मानव द्वारा इनके उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग प्रकार से किया जा रहा है।

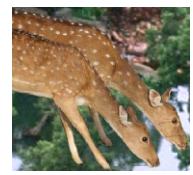

जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ का अधिकांश भू–भाग कृषि जोत के नीचे है। दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहाँ की भूमि कम उपजाऊ है वहाँ पर कम जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु भी अधिक भू–भाग पर कृषि जोत की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में प्रदेश में भू–उपयोग की स्थिति अग्रांकित तालिका से दृष्टव्य है:–

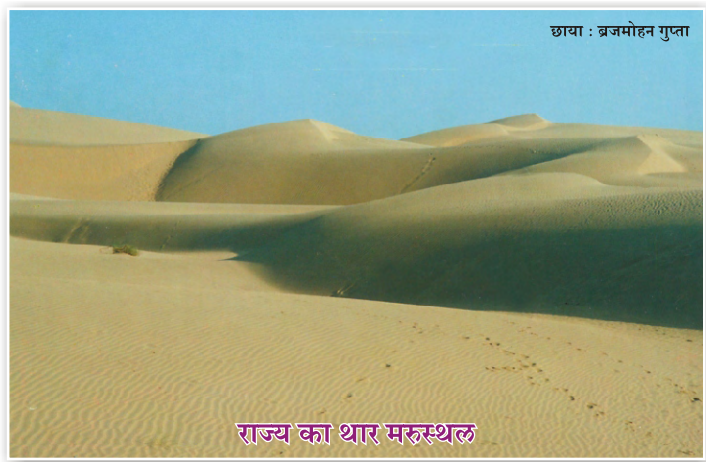

राजस्थान में भू–उपयोग : एक दृष्टि में

क्र. सं.	गतिविधि अनुरूप भू–उपयोग	कुल क्षेत्रफल वर्ग किमी. में	प्रतिशत
1.	वन क्षेत्र	32,549	9.51
2.	अकृषि भूमि	17,257	5.04
3.	बंजर भूमि (जोत रहित भूमि)	4,420	1.29
4.	चारागाह भूमि	11,942	3.49
5.	कृषि योग्य बंजर भूमि	68,985	20.16
6.	परती भूमि	42,219	12.34
7.	कृषि योग्य भूमि (वास्तविक बोया गया क्षेत्र)	1,64,857	48.17
	योग	**3,42,239**	**100**

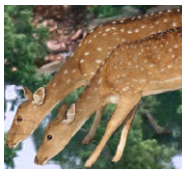

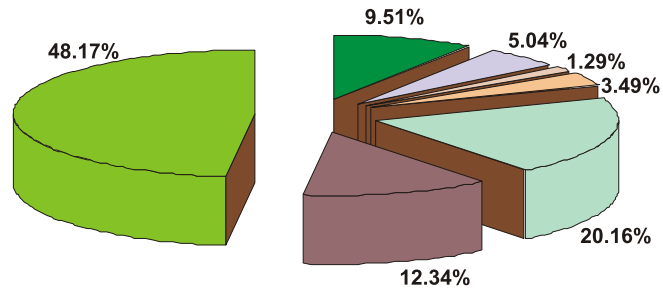

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में वन भूमि मात्र 9.51 प्रतिशत ही है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इसे 33 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

वन सम्पदा :

❑ वनों के प्रकार :

राजस्थान की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध वन सम्पदा को वनस्पति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वन प्रकार	कुल क्षेत्रफल(हैक्टर में)	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत
1.	शुष्क सागवान वन	2,24,787	6.90
2.	शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन	19,02,775	58.96
3.	उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन	9,29,286	28.55
4.	उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन	1,85,452	5.70
5.	अर्द्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन	12,664	0.39
	योग	**32,54,964**	**100.00**

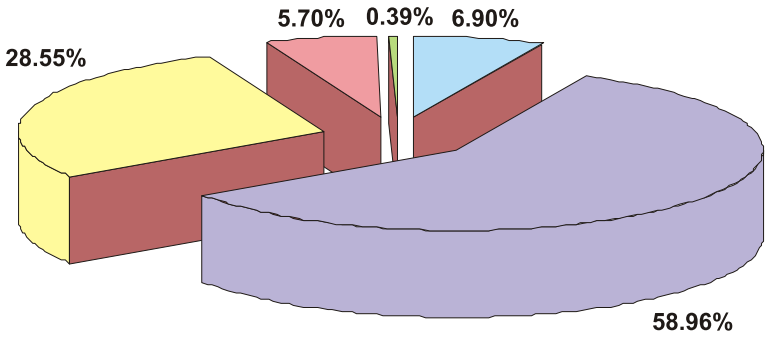

❑ वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति*

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,549.64 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12,778.47	39.26
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	17,010.03	52.26
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest)	2,761.14	8.48
	कुल योग	**32,549.64**	**100.00**

*2005 की स्थिति अनुसार

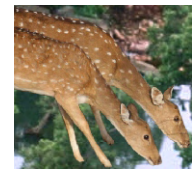

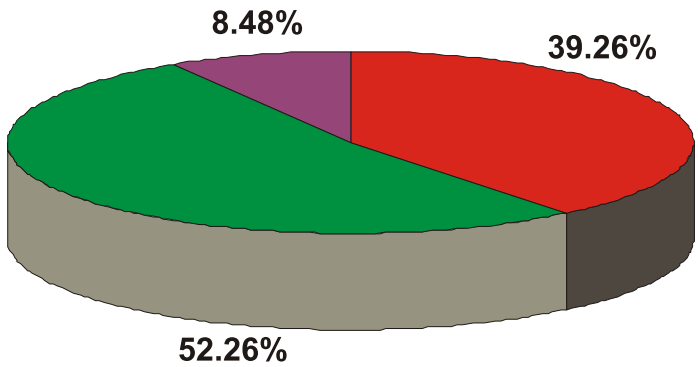

❑ प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

- अभिलेखित वन (**Recorded Forests**) : 32549.64 वर्ग किमी.
  - * राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 9.51 प्रतिशत
  - * राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 0.99 प्रतिशत
  - * राष्ट्र के वन क्षेत्रफल के संदर्भ में : 4.23 प्रतिशत
  - * प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र : 0.06 हैक्टर
- वन आवरण (**Forest Cover**) : 15850 वर्ग किमी.
  (भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट, 2005 के अनुसार)

* अति सघन वन (छत्रक घनत्व > 70 प्रतिशत) : 14 वर्ग किमी.
* सघन वन (छत्रक घनत्व 40 से 70 प्रतिशत) : 4,456 वर्ग किमी.
* खुले वन (छत्रक घनत्व 10 से 40 प्रतिशत) : 11,380 वर्ग किमी.
* प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन आच्छादन : 4.63 प्रतिशत
* राष्ट्र के कुल वृक्षाच्छादित क्षेत्रफल के सन्दर्भ में राज्य का वन आवरण : 2.34 प्रतिशत
* **गत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2003 के सापेक्ष राज्य के कुल वन आवरण में वृद्धि : 29 वर्ग किमी.**

- वृक्ष आच्छादन (Tree Cover) : 8,379 वर्ग किमी.
  * प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वृक्ष आच्छादन : 2.45 प्रतिशत
  * **भारत वर्ष में सर्वाधिक वृक्ष आवरण (अभिलेखित वन क्षेत्र से बाहर वनावरण) में सभी राज्यों में राजस्थान का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है।**
- वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र (Forest & Tree Cover) : 24,229 वर्ग किमी.
  * प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र : 7.08 प्रतिशत

राज्य में जिलेवार उपलब्ध वन क्षेत्र एवं वनावरण का विवरण परिशिष्ट 1 पर दृष्टव्य है।

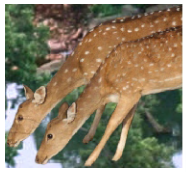

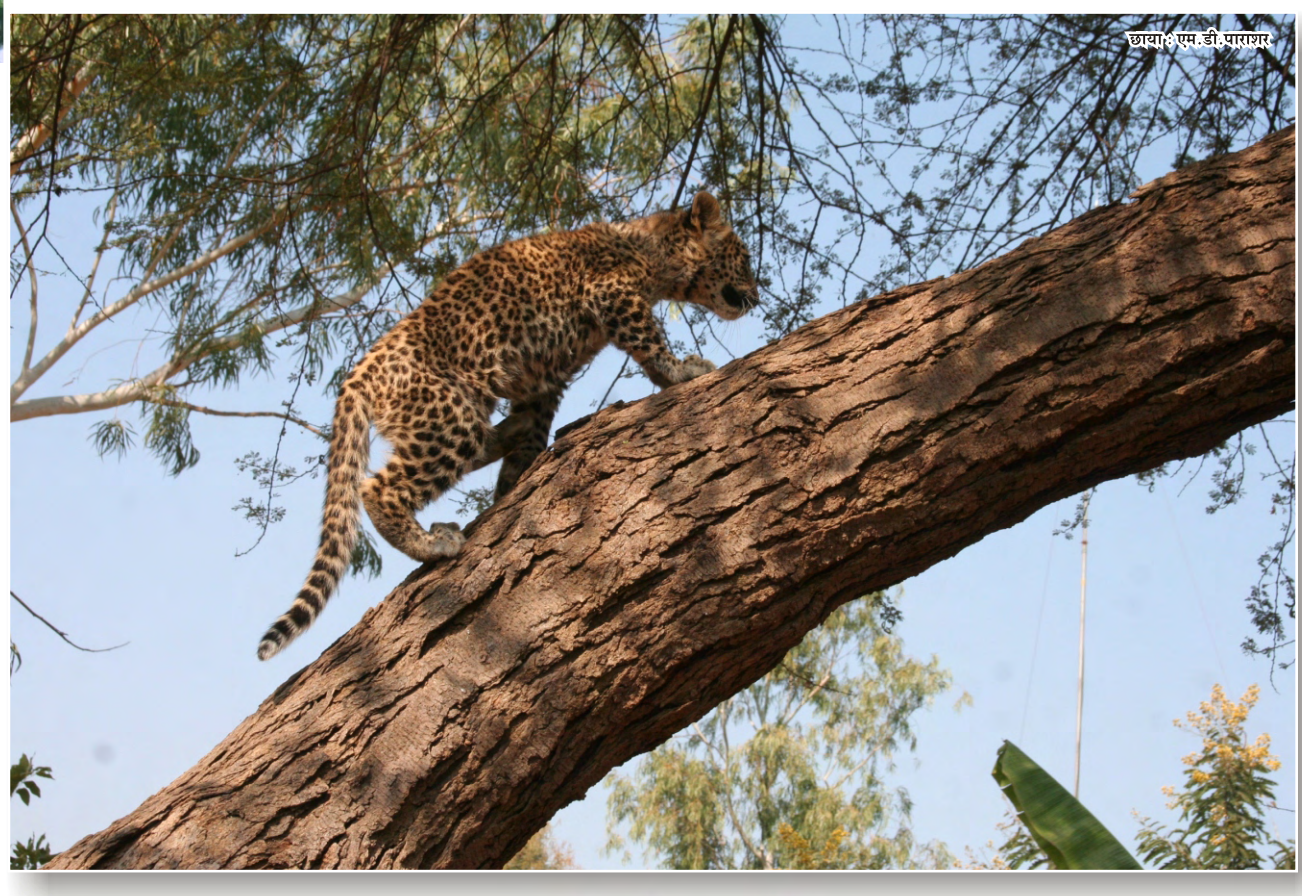

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ

2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

वन प्रशासन :

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिये विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिये अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गयी है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यतः निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :–

❑ उच्च स्तरीय प्रशासन :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग की संपूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता एवं अनुसंधान कार्यों की स्वतन्त्र रूप से देख–रेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान वन्य जीव प्रबन्धन संबंधी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारु क्रियान्विति के लिए राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं ।

❑ मध्यम स्तरीय प्रशासन :

क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विभाग में वृत्त कार्यालय कार्यरत हैं। प्रत्येक वृत्त कार्यालय के प्रभारी वन संरक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। वन संरक्षकगण, मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। राज्य में वर्तमान में अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर एवं भरतपुर सम्भाग मुख्यालयों पर वृत्त कार्यालय कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त कार्य आयोजना तथा विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये पृथक् से वन संरक्षक कार्यालय कार्यरत हैं।

प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पदस्थापित हैं। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्य जीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु

पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं। मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षकगण, वृत्त स्तरीय अधिकारी–वन संरक्षक के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्रत्येक वृत्त के अधीन 4 से 5 प्रादेशिक वन मण्डल कार्यालय कार्यरत हैं।

❑ कार्यकारी स्तर :

वन मण्डल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वन रक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है।

विशिष्ट योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्यस्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

वन सेवा :

उपरांकित प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वन सेवा का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिए विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति निम्नानुसार है :–

❑ भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) :

भारतीय वन सेवा कैडर के राज्य में कुल 112 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 8 पद रिक्त हैं। इन पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

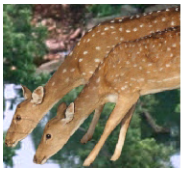

क्र. सं.	पद नाम	पदों की संख्या			रिक्त पद
		कैडर में	एक्स कैडर में	कुल	
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	2	4	–
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	5	7	2
3.	मुख्य वन संरक्षक	7	13	20	–
4.	वन संरक्षक	15	10	25	1
5.	उप वन संरक्षक	38	10	48	5
	योग	**64**	**40**	**104**	**8**

❑ राजस्थान वन सेवा (Rajasthan Forest Service) :

राजस्थान वन सेवा में उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक (चयनित वेतनमान)	5	–
2.	उप वन संरक्षक	63	10
3.	सहायक वन संरक्षक	150	92
4.	अनुसंधान अधिकारी	5	1
	योग	**223**	**103**

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2007–08

❑ अभियांत्रिकी सेवा (Engineering Service) :

विभाग में अभियांत्रिकी पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधिशाषी अभियंता	5	1
2.	सहायक कृषि अभियंता / सहायक भू–संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी)	10	5
3.	सहायक भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि)	2	1

❑ वन अधीनस्थ सेवा (Forest Subordinate Service) :

अधीनस्थ वन सेवा के क्षेत्रीय प्रथम, क्षेत्रीय द्वितीय, वनपाल, सहायक वनपाल तथा वन रक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1.	क्षेत्रीय–प्रथम	269	269	0
2.	क्षेत्रीय–द्वितीय	159	131	28
3.	वनपाल	1041	997	44
4.	सहायक वनपाल	693	533	160
5.	वन रक्षक एवं गेम वाचर्स	3802	3459	343

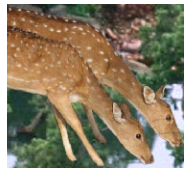

अधीनस्थ वन सेवा के अन्य स्वीकृत 648 पदों में से 58 पद रिक्त चल रहे हैं।

❑ मंत्रालयिक सेवा (Ministerial Service) :

मंत्रालयिक सेवा के कुल 1083 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें से 38 पद रिक्त चल रहे हैं।

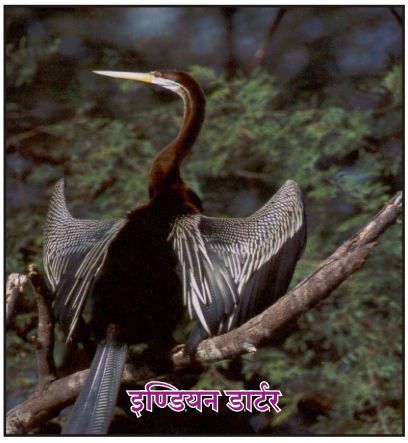

प्रशासनिक कार्य :

❑ कार्मिक सम्बन्धी कार्य

● पदोन्नति :

- वर्ष 2006 की रिक्तियों के विरुद्ध राज्य वन सेवा के अरुण कान्त सक्सेना व मधुसूदन तिवाड़ी की भारतीय वन सेवा में नियुक्ति।
- वर्ष 2007 के दो रिक्त पदों के लिए राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति से नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 20.12.2007 को आयोजित हुई।
- भारतीय वन सेवा के वर्ष 2008 में कैडर रिव्यू के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं।
- राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक के 7 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित।
- सहायक भू–संरक्षण अधिकारी के एक रिक्त पद पर एक पदोन्नति दी गई।
- क्षेत्रीय–प्रथम के 73 पदों को सहायक वन संरक्षक के पदों में क्रमोन्नत किया गया।
- सहायक वनपाल के 115 नव सृजित पद एवं 55 रिक्त पदों के विरुद्ध 170 वनरक्षकों को पदोन्नति दी गई।

☞ वर्ष 2007–08 में विभाग द्वारा निम्नानुसार कर्मचारियों की पदोन्नति की गई :–

क्र.सं.	पदोन्नत पद नाम	पदोन्नत पदों की संख्या
1.	कार्यालय सहायक से कार्यालय अधीक्षक	5
2.	वरिष्ठ निजी सहायक से निजी सचिव	2
3.	निजी सहायक से वरिष्ठ निजी सहायक	2
4.	वनपाल से क्षेत्रीय ग्रेड–II	1
5.	वनपाल से क्षेत्रीय ग्रेड–II (रिव्यू डी.पी.सी.)	1

☞ इस वर्ष निम्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई :–

- निरीक्षकों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची
- निजी सहायकों की अन्तरिम एवं आक्षेपों के निराकरण के बाद अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी
- वरिष्ठ लिपिकों की अन्तरिम एवं आक्षेपों के निराकरण के बाद अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी

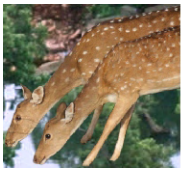

- वनपालों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी एवं प्राप्त अभ्यावेदनों एवं सूचनाओं के आधार पर संशोधन उपरान्त अन्तिम सूची 30 जनवरी, 2008 को जारी।
- कार्यालय सहायकों की अन्तरिम व नवीनतम स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी ट्रेसर की अन्तरिम वरिष्ठता सूची।

☞ ड्राफ्ट्समैन के स्थायीकरण आदेश दिनांक 30 जुलाई, 2007 को जारी।

☞ क्षेत्रीय ग्रेड–I की 1 अप्रैल, 2007 की स्थिति के अनुसार सिविल लिस्ट जारी।

☞ प्रथम बार सहायक वनपाल एवं वन रक्षकों की राज्य स्तरीय सूची तैयार की गई।

● विभागीय जांच एवं अपीलों का निस्तारण :

इस वर्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय स्तर से सी.सी.ए. नियमों के अंतर्गत 6 विभागीय जांचों एवं 20 अपीलों का निस्तारण किया गया।

● अनुकम्पा नियुक्ति :

विभाग में इस वर्ष 31 दिसम्बर, 2007 तक विभिन्न संवर्गों के 40 पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति दी गई। इनमें 28 आश्रितों को वनपाल, 2 को वन रक्षक, 6 को कनिष्ठ लिपिक, 3 को चालक व 1 को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग में पद रिक्त नहीं होने के कारण 50 आश्रितों के प्रार्थना पत्र अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किए गए।

इस प्रकार विभाग में दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2007 तक 215 आश्रितों को नियुक्तियां दी गईं व 218 प्रकरणों को कार्मिक विभाग को प्रेषित किया गया।

● विधान सभा प्रश्न एवं आश्वासन :

वित्तीय वर्ष 2007–08 में विधान सभा से प्राप्त प्रश्नों व उनके प्रेषित उत्तरों व आश्वासनों की स्थिति इस प्रकार रही :–

	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	लम्बित
अतारांकित प्रश्न	65	63	2
तारांकित प्रश्न	36	34	2
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/ विशेष उल्लेख	9	9	–
आश्वासन	10	7	3

❑ विधिक कार्य :

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध व राज्य सरकार की ओर से दायर हजारों की संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों के प्रभावी नियंत्रण व प्रबोधन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में चल रहे प्रकरणों की सूचना को संकलित/समेकित कराने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से 12 प्रपत्र (Formats) तैयार करके जारी किये गये हैं, जिनको वेबसाइट का रूप दे दिया गया है। इस वेबसाइट को Litigation Information Tracking & Evaluation System (LITES) का नाम दिया गया है।

वन विभाग द्वारा अपने जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं व मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 4800 से भी अधिक प्रकरणों को न्याय विभाग की वेबसाइट पर दर्ज कराया जा चुका है।

विभाग से संबंधित 4342 न्यायिक प्रकरणों में से वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 17, माननीय उच्च न्यायालय में 1164, ट्रिब्यूनल में 161 तथा अन्य न्यायालयों में 3000 प्रकरण विचाराधीन हैं।

❑ श्रम अनुभाग संबंधित कार्य :

- विभाग में वर्तमान में 220 दैनिक वेतन भोगी (न्यायालय के आदेश के कारण) सहित 7549 कर्मकार वर्कचार्ज संवर्ग में कार्यरत हैं।
- राज्य सरकार द्वारा प्रसारित निर्देशों के क्रम में वर्कचार्ज कर्मचारियों को अर्द्धस्थायीकरण/स्थायीकरण का लाभ दिया जा रहा है। इन कार्मिकों को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया जा रहा है।

❑ ''सूचना का अधिकार'' सम्बन्धित कार्य :

राज्य सरकार ने दिनांक 3.5.2007 द्वारा सूचना के अधिकार नियम 2005 के अन्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 3.10.2005 को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 11.8.2006 को संशोधित करते हुए वन विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर एवं लोक प्राधिकरण वन विभाग तथा अपीलेट अधिकारी प्रमुख शासन सचिव वन घोषित किए हैं।

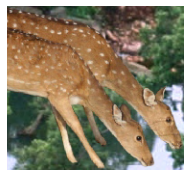

इस क्रम में विभाग ने दिनांक 29 मई, 2007 को संशोधित आदेश जारी कर राज्य में 387 सहायक लोक सूचना अधिकारी, 89 लोक सूचना अधिकारी व 10 अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

इस वर्ष दिसम्बर, 2007 तक सूचना चाहने सम्बन्धी 72 आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं जिनमें से 60 आवेदनकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष 12 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

❑ कार्य प्रगति अंकेक्षण व्यवस्था (Performance Audit) :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र में समस्त प्रादेशिक मुख्य वन संरक्षकगण, उनके अधीनस्थ वन संरक्षकगणों एवं उप वन संरक्षकगणों के द्वारा किये गये सामयिक कार्य का समग्र ब्यौरा प्रतिमाह प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करते हैं जिसकी समीक्षा मुख्यालय पर की जाकर सम्बन्धित अधिकारीगणों को उनकी निष्पत्ति (Performance) के बारे में सूचित कर दिया जाता है। जहां सुधार (improvement) की गुंजाइश होती है, वहां सम्बन्धित अधिकारीगण को मार्गदर्शन के साथ आगाह भी किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट का

अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते समय सुपरवाइजरी अधिकारियों के द्वारा ध्यान रखा जावेगा।

❑ विभागीय कार्य का प्रभावी प्रबोधन (Effective Monitoring) :

प्रशासन को अधिक प्रभावशाली एवं संवेदनशील बनाने के लिए मुख्यालय स्थित अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को एक–एक संभाग क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वे अपने संभाग में अधिकाधिक दौरा कर स्थानीय अधिकारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान द्वारा दिये गये निर्देशों सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे एवं उनसे प्राप्त फीड–बैक को भी प्रधान मुख्य वन संरक्षक को समय–समय पर उपलब्ध करायेंगे। इस क्रम में अति.प्र.मु.व.सं. (विकास), अति.प्र.मु.व.सं. (परियोजना), अति. प्र. मु. व. सं. (अरावली वृक्षारोपण परियोजना), अति. प्र. मु. व. सं. (उत्पादन) एवं अति. प्र.मु.व.सं. (प्रशासन) को क्रमशः कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया है एवं वर्ष के दौरान समय–समय पर अपने निर्धारित क्षेत्र में दौरा करने के पश्चात् रिपोर्ट प्रधान मुख्य संरक्षक को भेजते हैं।

❑ लेखा अनुभाग संबंधित प्रगति :

वित्तीय वर्ष 2007–08 में लेखा अनुभाग द्वारा 31.12.07 तक विभिन्न प्रतिवेदनों एवं पैरा के निस्तारण की प्रगति का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

क्र. सं.	विवरण	1.4.07 को बकाया		नये प्राप्त		निस्तारण		लम्बित	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1.	सी.ए.जी. प्रतिवेदन	–	–	3	8	2	7	1	1
2.	जनलेखा समिति	1	1	5	57	1	47	5	10
3.	ड्राफ्ट पैरा	–	–	5	–	5	–	–	7
4.	तथ्यात्मक पैरा	–	1	4	–	4	–	–	–
5.	महालेखाकार आक्षेप	644	2356	111	518	83	605	672	2269
6.	निरीक्षण विभाग	448	3094	10	182	20	422	432	2854

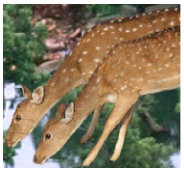

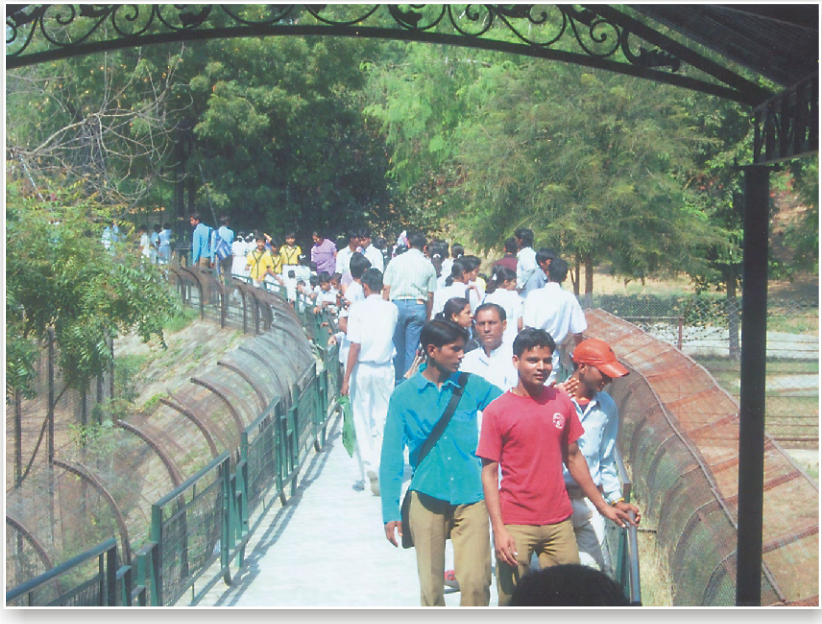

चिड़ियाघर जयपुर का जीर्णोद्धार कार्य

3

वन सुरक्षा

राज्य वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा वन क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों, विधि प्रवर्तन व अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं :–

❑ गश्तीदलों का गठन :

वन क्षेत्रों में वन अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में 28 गश्तीदल (12 वन्य जीव गश्तीदल) कार्यरत हैं।

❑ वायरलैस सेट्स की स्थापना:

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये सशक्त सूचना संप्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाके/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलैस सेट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 1010 वायरलैस सेट्स हैं जिनमें से फिक्स्ड सेट्स की संख्या 663, वाहनों पर मोबाइल सेट्स 58 तथा हैण्डसेट्स 289 हैं।

❑ वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना :

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का भी वन कर्मियों को आतंकित करने हेतु उपयोग करने लगे हैं। विभाग में वर्तमान में 32 रिवाल्वर एवं 62 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को उपलब्ध करायी गई हैं। समय–समय पर पुलिस विभाग के सहयोग से हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिलाया जाता रहा है।

वन अपराध संबंधी सूचना :

- **अतिक्रमण**

राज्य में 1 अप्रैल, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 1808 प्रकरण दर्ज किये गये जो 1769.930 हैक्टेयर वन भूमि से सम्बन्धित हैं। इस अवधि में पुराने लम्बित प्रकरणों सहित कुल 6035 प्रकरण निर्णीत कर 5322.83 हैक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। बतौर शास्ती रु. 14,17,272/– राशि वसूल की गई। शहरी क्षेत्रों के निरन्तर प्रसार के कारण शहरों के निकटवर्ती वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण का गंभीर खतरा बना रहता है। इस वर्ष जयपुर, कोटा व जोधपुर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाने के इस विशेष अभियान में जयपुर शहर के पर्वतपुरा व छीपीवाड़ा क्षेत्र से 350 अवैध निर्माण हटाए गए। इसी प्रकार कोटा शहर के समीप ग्राम अनन्तपुरा के रक्षित वन खण्ड लखावा के खसरा नं. 280 से जे.सी.बी. की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए। अवैध निर्माण हटाने में जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय स्वशासी संस्थाओं ने पर्याप्त सकारात्मक सहयोग किया।

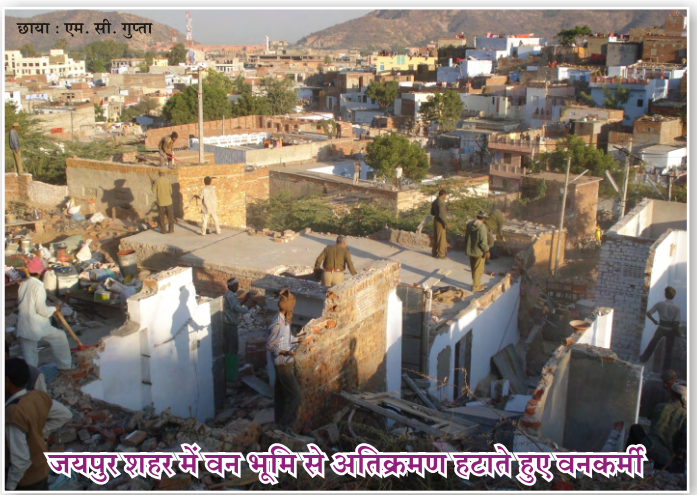

जयपुर शहर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए वनकर्मी

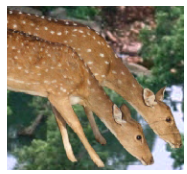

छाया सौजन्य : ए. एस. चौहान

छाया सौजन्य : ए. एस. चौहान

कोटा में भारी जाब्ते के साथ वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया

- **अवैध कटान**

राज्य में 1 अप्रैल, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक अवैध कटान के 4587 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में 4867 प्रकरण निर्णीत किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रु. 58,78,484/– वसूल किया गया।

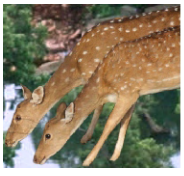

- **अवैध चराई**

राज्य में 1 अप्रैल, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक 2941 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित कुल 2964 प्रकरणों पर फैसला किया जाकर बतौर मुआवजा राशि रु. 20,72,507/– जमा किया गया।

- **अवैध खनन**

राज्य में 1 अप्रैल, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक 3090 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित 2974 प्रकरणों पर फैसला किया जाकर बतौर मुआवजा राशि 68,21,074/– रु. वसूल की गई।

- **वन्य जीव अपराध**

राज्य में 1 अप्रैल, 2007 से 30 सितम्बर , 2007 तक 125 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित कुल 108 प्रकरणों का फैसला किया जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 4,88,302/– वसूल की गई।

❑ वन भूमि डाइवर्जन :

दिसम्बर, 2007 तक राज्य वन विभाग को वन भूमि डाइवर्जन के 177 आवेदन पत्र प्राप्त हुए । डाइवर्जन से सम्बन्धित आवेदन पत्रों की दिसम्बर, 2007 तक की स्थिति का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.सं.	विभाग	प्रकरणों की संख्या	किस स्तर पर				अप्रैल, 2007 के पश्चात् अंतिम स्वीकृत	प्रथम स्तरीय स्वीकृति
			भारत सरकार	राज्य सरकार	यूजर एजेन्सी	वन विभाग		
1.	सिंचाई	36	08	02	21	05	01	23
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	06	01	02	0	03	07	0
3.	सार्वजनिक निर्माण	69	27	04	17	21	24	18
4.	आर.यू. आई.डी. पी.	03	0	01	0	02	01	01
5.	आर.आर.वी.पी.एन.एल.	16	04	01	02	09	01	02
6.	पावर ग्रिड कॉर्पो.	09	06	0	03	0	03	08
7.	रेलवे	07	02	01	03	01	0	04
8.	अन्य	31	14	02	08	07	02	06
	योग	**177**	**62**	**13**	**54**	**48**	**39**	**62**

वुडन हैण्डीक्राफ्ट आरा मशीनों (24" से कम) को लाइसेंस दिये जाने का प्रावधान :

राज्य के वुडन हैण्डीक्राफ्ट एसोसियेशन्स की मांग पर एवं लघु उद्योग कर्मियों का रोजगार जारी रहने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए 24'' से छोटी हैण्डीक्राफ्ट आरा मशीनों को लाइसेंस दिये जाने के प्रावधान हेतु सेण्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी से अनुमोदन कराकर आरा मशीन नियमों में संशोधन (विज्ञप्ति) दिनांक 4.2.2006 को किया गया था। इस वर्ष दिसम्बर, 2007 तक विभाग ने 1222 प्रार्थना पत्रों पर विचारण कर अनुज्ञा पत्र हेतु अनुमोदन कर दिया गया है।

इसी अवधि तक राज्य में लगभग 90 आरा मशीन मालिकों ने स्थान परिवर्तन की अनुमति चाही थी जिन्हें विचारण उपरान्त अनुमति प्रदान की गई।

अवैध आरा मशीन को जब्त करते हुए

गोहरा : जहरीला होने के भ्रम में इसे मार दिया जाता है वास्तव में यह जहरीला नहीं होता

4

वानिकी विकास

राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। प्रदेश का 9.51 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.62 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्र के सम्पूर्ण भू–भाग का एक तिहाई वन क्षेत्र होना आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बना रहे तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सम्भव हो सके।

छाया : फिरोज हुसैन

आंवला वृक्षारोपण, डांगल

प्रदेश की प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय विषमताओं यथा दो–तिहाई मरुप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की न्यूनता एवं अत्यधिक जैविक दबाव इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए वनाच्छादित क्षेत्र की वृद्धि की अपरिहार्य आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में प्रमुखता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की दयनीय स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं उत्तरोत्तर वानिकी विकास के जरिये सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

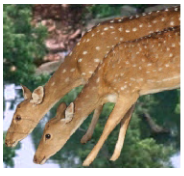

इसी के मद्देनजर विभाग द्वारा एक 20 वर्षीय ''राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना'' (State Forestry Action Plan), 1996 से 2016, तैयार की जाकर प्रदेश के 20 प्रतिशत भू–भाग को वनाच्छादित किये जाने के उद्देश्य से वानिकी विकास को गति प्रदान की जा रही है।

इस अध्याय में प्रदेश में विभाग द्वारा कराये जा रहे वनारोपण, पौध वितरण, पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य :–

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमानता, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई मरु भूमि के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उड़ती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उड़ती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2007–08 (माह दिसम्बर, 2007 तक) कराये गये विभागीय वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी के अन्तर्गत वितरित पौधों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्न प्रकार है:–

कार्य का विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर, 07 तक)
वृक्षारोपण क्षेत्र (हैक्टेयर में)	80,000	83,134
पौध रोपण (लाखों में)	520	447.90
पौध वितरण	100	103.15

उपर्युक्त उपलब्धियों का, जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में वर्णित है।

वन विकास की योजनाएँ

वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त जापान बैंक फोर इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन जे. बी. आई. सी., जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है। योजनावार उपलब्ध वित्तीय प्रावधान, भौतिक लक्ष्य एवं अब तक की उपलब्धि का विवरण परिशिष्ट 3, 4 व 5 में दिया गया है। योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

शिकाकाई वृक्षारोपण, पोपलटी

☆ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (Rsjasthan Forestry & Bio-diversity Project):

यह परियोजना जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कॉर्पोरेशन (JBIC) के वित्तीय सहयोग से वर्ष 2003 में आरम्भ की गई थी। परियोजना के मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन की पुनर्स्थापना, जैव विविधता संरक्षण, मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण, मृदा में नमी धारण क्षमता में वृद्धि करना तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की उड़ती बालुई मृदा संरक्षण करना है।

परियोजना राज्य के 18 जिले यथा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, सीकर, पाली, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर तथा जैसलमेर में क्रियान्वित की जा रही है।

वर्ष 2007–08 के लिए परियोजना में 54.65 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2007 तक 26.81 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। इस राशि से कराए जाने वाले कार्य व माह दिसम्बर, 2007 तक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

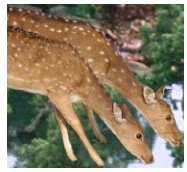

क्र. सं.	गतिविधि/कार्य	इकाई	वर्ष 2007–08 के लक्ष्य	माह दिसम्बर, 07 तक उपलब्धि
1.	वृक्षारोपण	हैक्टेयर	20,700	20,700
2.	उत्पादकता संवर्धन कार्य	हैक्टेयर	4000	1625
3.	नमी संरक्षण संरचनाएं	संख्या	466	30
4.	कृषि वानिकी			
	(i) पौध तैयारी	संख्या	40 लाख	11.73 लाख
	(ii) पौध वितरण	संख्या	40 लाख	37.63 लाख

इस वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शेष कार्य प्रगतिरत हैं।

परियोजना में सृजित सम्पत्तियों के परियोजना समाप्ति के बाद अनुरक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति में सदस्यों व परियोजना के सहयोग से कारपस फण्ड विकसित किया जाता है। इस कोष में माह अक्टूबर, 07 तक सुरक्षा समिति के सदस्यों की हिस्सा राशि 3.46 करोड़ तथा वन विभाग की हिस्सा राशि 889.15 लाख रु. जमा हो चुकी है।

☆ विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme):

यह परियोजना राज्य के 4 जिलों यथा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं चित्तौड़गढ़ में क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत खाद्य इकाइयों में प्रत्येक इकाई में 2.5 किलो गेहूं एवं 200 ग्राम दाल का वितरण किया जाता है। खाद्य इकाई के बदले काटी गई राशि सृजित कोष में जमा होती है। वर्ष 2007–08 में इस योजना में विभाग के माध्यम से निम्न कार्य कराये जा रहे हैं:–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (लाखों रु. में)
1.	महिला गृह उद्योग	4	0.40
2.	ग्रैन (अनाज) बैंक	13	1.30
3.	हैण्डपम्प	41	0.30
4.	कुओं का गहरीकरण	6	7.80
5.	लिफ्ट सिंचाई	3	3.70
6.	उन्नत शवदाह	1	0.75
7.	एनीकट–I	13	14.30
8.	एनीकट–II	10	32.60
9.	गैबियन संरचना	20	3.42
10.	उन्नत शवदाह शेड/बैठने के स्थान	23	11.50
11.	सिल्ट टैंक	1	0.61
12.	ड्रॉप स्पिलवे	3	2.01
13.	वर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण	50	0.50
	कुल	–	**93.61**

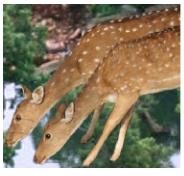

विश्व खाद्य कार्यक्रम में निर्मित हैण्डपम्प

संसाधन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य योजना से उपलब्ध हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक सात चरणों में वानिकी विकास कार्य करवाये गये हैं। इस वर्ष आठवें चरण के क्रियान्वयन सहित (प्रथम से अष्टम चरण) उक्त योजना में किये जा रहे वृक्षारोपण कार्यों की जिलेवार प्रगति अग्रानुसार रही है :–

मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण

☆ मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम (Combating Desertification Programme) :

वित्तीय वर्ष 2000–01 से राज्य के 10 जिलों यथा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, बीकानेर, झुन्झुनूं एवं सीकर में सी. डी. पी. योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 75 प्रतिशत वित्तीय

क्र. सं.	नाम जिला	वृक्षारोपण कार्य (हैक्टर में)
1.	जोधपुर	2212
2.	पाली	4010
3.	जालौर	2269
4.	बाड़मेर	620
5.	जैसलमेर	3791
6.	सीकर	3066
7.	झुन्झुनूं	2434
8.	चूरू	1950
9.	नागौर	3562
10.	बीकानेर	1918
	योग	**25832**

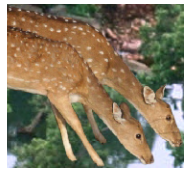

मृदा एवं जल संरक्षण

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारागाह एवं वन विकास

कैनाल साईट वृक्षारोपण

अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो हिस्सों में विभाजित करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम दिशा का क्षेत्र मुख्यतया रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत अधिक तापमान होना, वर्षा का कम होना, धूल भरी आंधियां चलना तथा बार–बार अकाल की स्थिति बनना आदि विषम परिस्थितियों की वजह से इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम है।

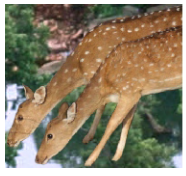

इस क्षेत्र में तीन प्रमुख नहरें हैं जिनमें से इन्दिरा गांधी नहर प्रमुख है। इस क्षेत्र को हरा–भरा बनाने के लिए इस नहर के क्षेत्र में विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है।

इस परियोजना का 1958 में निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। यह परियोजना संसार में सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इस परियोजना के लिए पानी पंजाब राज्य में सतलज–ब्यास नदी पर हरिके में बांध बनाकर उपलब्ध कराया गया। हरिके बैराज से राजस्थान की सीमा तक फीडर नहर बनाई गई है जिसकी लम्बाई 204 किलोमीटर है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना 0 आर. डी. हनुमानगढ़ जिले में मसीतावाली ग्राम से प्रारम्भ होती है तथा इसका अंतिम छोर 1458 आर. डी. जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ में स्थित है। यह नहर राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों से होकर गुजरती है। नहर की कुल लम्बाई लगभग 445 किलोमीटर है।

☆ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वानिकी गतिविधियां :

नहर निर्माण के बाद यह अनुभव किया गया कि गर्मियों में तेज आंधी के कारण इस क्षेत्र में चलायमान रेत से नहर पूरी तरह भर जाती थी। मिट्टी को मशीन एवं मानव द्वारा नहरों से निकालना बहुत ही महंगा था तथा निश्चित अवधि में यह कार्य पूरा भी नहीं होता था। नहरों में मिट्टी के जमाव की वजह से जिस उद्देश्य से नहरों का निर्माण हुआ था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अतः नहरों को मिट्टी के जमाव से सुरक्षित रखने के लिए यह निर्णय लिया गया कि नहरों के साथ–साथ एवं सिंचित क्षेत्र में वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण कार्य करवाये जावें, जिससे कि नहरों में पानी लगातार उपलब्ध होता रहे। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण की गतिविधियां प्रारम्भ की गईं एवं सर्वप्रथम 1962 में हनुमानगढ़ जिले के कोला वन खण्ड में वृक्षारोपण कार्य की शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वर्ष 1974 से वृहद् स्तर पर विभिन्न स्कीमों के तहत वृक्षारोपण कार्य शुरू करवाये गये। इस क्षेत्र में ब्लॉक/आबादी वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, टिब्बा स्थिरीकरण वृक्षारोपण, चारागाह विकास, पर्यावरण वृक्षारोपण तथा कृषि वानिकी की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों के अनुरूप अगस्त, 2007 तक किए गए कार्यों की स्थिति इस प्रकार है :–

टिब्बा स्थिरीकरण

5

भू एवं जल संरक्षण

बाढ़ सम्भावित नदी परियोजना एवं नदी घाटी परियोजनाएँ

चम्बल, दांतीवाड़ा तथा कडाना नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में तथा बाढ़ सम्भावित नदी बनास के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्यों को कराने हेतु भारत सरकार की वित्तीय सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजना चलाई जा रही है। मेक्रो–मैनेजमेंट मोड के तहत केन्द्र व राज्य सरकार की अनुपातिक हिस्सा राशि क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में 23.00 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान अनुमोदित है, जिसके विरुद्ध 90 प्रतिशत अंशदान के रूप में 20.70 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। इस राशि से भू एवं जल संरक्षण को बढ़ाने की दृष्टि से 31764 हैक्टर वन भूमि, सरकारी पड़त भूमि एवं कृषि भूमि को उपचारित किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में उपचारित उप जलग्रहण क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	परियोजना का नाम	उपचारित उप जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	उपचारित क्षेत्र (माह दिसम्बर, 2007 तक) (हैक्टर में)
1.	बाढ़ सम्भावित नदी परियोजना–बनास	38	14,117
2.	नदी घाटी परियोजना		
	1. आर.वी.पी.–चम्बल	20	3,322
	2. आर.वी.पी.–माही	8	3,783
	3. आर.वी.पी.–दांतीवाड़ा	4	1,269
	4. आर.वी.पी.–साबरमती	3	3
	योग	**73**	**23,102**

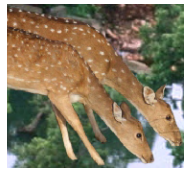

बाढ़ सम्भावित नदी परियोजना एवं नदी घाटी परियोजनाओं में उपचारित उप जलग्रहण क्षेत्रों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–7 में दर्शाया गया है।

जल संरक्षण संरचना

आर्च स्पिलवे

6

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्ध

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों / राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान (केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान) तथा 25 अभयारण्य हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9161.21 वर्ग किमी. है। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विवरण परिशिष्ट–8 पर दृष्टव्य है।

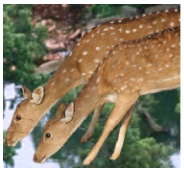

वन्य जीवों के संरक्षण के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से राशि प्राप्त कर विकास कार्य कराये जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 के बजट अनुमान में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के लिये 640.36 लाख रुपये का प्रावधान है तथा राज्य योजना मद में 304.50 लाख रुपये का प्रावधान है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यतः अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित हैं, जिन पर आस–पास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस दबाव के कारण वन्य जीव प्रबन्धकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य निरन्तर संघर्ष होता है। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिये संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों की इन संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों को पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में हैबिटेट सुधार, पानी स्थलों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

वर्ष 2007–08 में वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में किये जा रहे उल्लेखनीय कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. संरक्षित क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती कर तैनात किये गये हैं।
2. राज्य के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व कोटा चिड़ियाघरों को क्रमशः नाहरगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, माचिया जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इनका मास्टर ले–आउट प्लान स्वीकृत करवा लिया गया है। स्वीकृत मास्टर ले आउट प्लान के अनुसार सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की विस्तृत परियोजना राशि रुपये 9.30 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। शेष तीनों जैविक उद्यानों की विस्तृत परियोजनायें भी तैयार कर ली गई हैं जो स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।
3. रणथम्भौर बाघ परियोजना एवं सरिस्का बाघ परियोजना में सम्भावित शिकारियों के ठिकानों पर रेड आयोजित किये जाकर (छापे मारकर) शिकार में लिप्त पाये गये कई शिकारियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है।
4. रणथम्भौर एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आर.ए.सी. व होम गार्ड्स की तैनाती की गई है।
5. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी की आपूर्ति हेतु अजान बांध के सीपेज के पानी एवं बाढ़ के पानी को चिकसाना कैनाल से डायवर्ट कर 41 लाख रुपये की लागत से 3.6 किमी. लम्बाई की कैनाल का निर्माण किया गया है। यमुना नदी के बाढ़ के पानी को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में लाने हेतु गोवर्धन ड्रेन से पाइप लाइन डालने की एक परियोजना

तैयार की जा रही है जिसे नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

6. तालछापर अभयारण्य के विकास के लिये राज्य योजना में वर्ष 2007–08 के लिये राशि 134.52 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इस राशि से अभयारण्य की संवेदनशील सीमा पर पक्की दीवार बनाने, जलस्रोत विकसित करने एवं हेबिटेट सुधार के अन्य कार्य किये जा रहे हैं।

7. सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों को शीघ्र पुनर्स्थापित करने हेतु राशि रुपये 1.54 करोड़ की एक संशोधित योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

8. रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में बाघ के 2–3 वर्ष की उम्र के 3 बच्चों को रेडियो कॉलर लगाकर इनके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है।

9. रणथम्भौर बाघ परियोजना में विभाग द्वारा उठाये गये सुरक्षात्मक कारणों के फलस्वरूप इस वर्ष बाघों के प्रजनन के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं।

10. रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों का दबाव कम करने के उद्देश्य से टाईगर सफारी पार्क बनाने हेतु राशि रुपये 405.28 लाख रुपये की परियोजना तैयार कर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की गई है।

11. वृक्षों के लिये अमृता देवी के नेतृत्व में 363 नर नारियों के बलिदान की याद में खेजड़ली में एक स्मारक बनाने हेतु राशि रुपये 499.00 लाख की परियोजना तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है।

12. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से प्रोसोपिस ज्यूली–फ्लोरा के उन्मूलन हेतु स्थानीय लोगों की भागीदारी से इको डवलपमेंट कमेटियों के माध्यम से अब तक लगभग 900 हैक्टर क्षेत्र से प्रोसोपिस ज्यूली–फ्लोरा के बीज देने वाले बड़े वृक्षों को हटाया जा चुका है।

13. सरिस्का बाघ परियोजना से दो गांवों (भगानी एवं कांकवाड़ी) को बड़ोद रूंध में विस्थापित करने हेतु भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। भगानी गांव को माह नवम्बर, 2007 में सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है तथा कांकवाडी गांव को विस्थापित करने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

14. राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्यों में अथवा उसके बाहर वन्य जीवों द्वारा जनहानि अथवा घायल किये जाने पर राज्यादेश दिनांक 25.7.2005 से मुआवजा राशि में अभिवृद्धि की गई है। वर्ष 2007–08 (दिसम्बर, 2007) में जनहानि के 1 मामले में 1.00 लाख का मुआवजा स्वीकृत किया गया है तथा घायल होने के 8 मामलों में 80,000/– रुपये मुआवजा स्वीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों के बाहर वन्य जीवों द्वारा मारे गये पशुओं के मामले में वर्ष 2007–08 (दिसम्बर, 2007 तक) में मुआवजा 31,200/– रुपये स्वीकृत किया गया है।

पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र मुआवजे का भुगतान मिले इसके लिये नियमों का सरलीकरण करके राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 23.6.2007 से उप वन संरक्षकों को मुआवजा स्वीकृति के लिये अधिकृत किया है।

15. राज्य में वन्य जीवों के शिकार की रोकथाम तथा पुलिस एवं वन विभाग के मध्य बेहतर समन्वय से कार्यवाही करने के उद्देश्य से स्टेट वाईल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

16. भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से रणथम्भौर बाघ परियोजना में बाघ गणना का कार्य किया गया। यहां बाघों की संख्या 30 से 34 तक पाई गई।

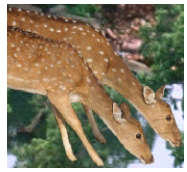

17. राज्य वन्य जीव मण्डल का पुनर्गठन किया जाकर पुनर्गठित राज्य वन्य जीव मण्डल की प्रथम बैठक दिनांक 5.10.2007 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

18. राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 28.12.2007 द्वारा रणथम्भौर बाघ परियोजना एवं सरिस्का बाघ परियोजना में क्रमशः 1,11,336.4 हैक्टर एवं 88,111.24 हैक्टर क्षेत्र को क्रिटिकल टाईगर हेबिटेट घोषित किया गया है।

19. राज्य वन्य जीव मण्डल की बैठक में बीसलपुर (जिला टोंक) एवं सुन्धामाता (जिला जालौर) के क्षेत्र को 'कन्जरवेशन रिजर्व' घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

20. राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाने के लिए '' मोर देखो और मोर बचाओं '' अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक राजस्थान पत्रिका एंव आयोजक वर्ल्ड फेजेन्ट एसोसिएशन , भारत; ट्यूरिज्म एण्ड वर्ल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इण्डिया एवं वन विभाग, राजस्थान सरकार है। इस अभियान के तहत 10 फरवरी, 2008 के तहत एक दिवस के लिये मोरों की गणना का अभियान चलाया गया।

7

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

कार्य आयोजना :

प्रदेश में वनों के तकनीकी प्रबंधन हेतु वन्य जीव प्रभाग से संबंधित वन्य जीव क्षेत्रों को छोड़कर सभी वन क्षेत्रों की कार्य आयोजना का होना आवश्यक है साथ ही केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत ऐसी कार्य आयोजना के अनुरूप ही वन क्षेत्र का प्रबंधन किया जाना अपेक्षित होता है। वन्य जीव प्रभाग क्षेत्र का प्रबंधन उन क्षेत्रों की स्वीकृत प्रबंध योजना के अनुरूप किया जाता है। वन्य जीव प्रभाग क्षेत्र के अलावा प्रदेश के अन्य वन क्षेत्रों की जिलेवार कार्य आयोजना की स्थिति निम्नानुसार है :–

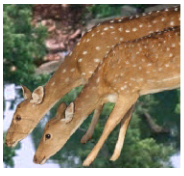

वर्तमान में 6 जिलों हेतु क्रमशः श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, कोटा एवं भीलवाड़ा की कार्य आयोजना स्वीकृत एवं प्रभावी है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले की कार्य आयोजनाओं की पुनरीक्षण (Revision) की समीक्षा का कार्य चल रहा है तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में बीकानेर स्टेज–II की कार्य आयोजना बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(12)वन/97 दिनांक 26.10.05 से 23 जिलों की कार्य आयोजना तैयार करने हेतु 13 अधिकारियों को अपने पद के दायित्व के अतिरिक्त यह कार्य आवंटित किया है। चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा जिले की कार्य आयोजना वित्तीय वर्ष 2007–08 में तैयार होना अपेक्षित है। 23 जिलों क्रमशः अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, जोधपुर, पाली, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, डूंगरपुर, सिरोही, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, नागौर, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर एवं टोंक की कार्य आयोजनाओं को भी शीघ्र ही तैयार करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वन बन्दोबस्त एवं सीमांकन :

वित्तीय वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर, 07 तक राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(3) एवं धारा 4 के अन्तर्गत 16 वन खण्डों की 2462.063 हैक्टर अवर्गीकृत वन भूमि को प्रारम्भिक रूप से घोषित करने के प्रस्ताव एवं धारा

छाया : फिरोज हुसैन

वन सीमांकन

29(1) एवं धारा 20 के अन्तर्गत 4 वन खण्डों की 2232.834 हैक्टेयर प्रारम्भिक रूप से घोषित वन भूमि की अन्तिम विज्ञप्ति के प्रस्ताव तैयार करवाकर राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं। इस वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रस्ताव तैयार करने के क्रम में स्वीकृत उपलब्ध बजट प्रावधान 6.00 लाख रुपये के अन्तर्गत 300.00 वर्ग किमी. अवर्गीकृत वन क्षेत्र का सर्वे कराने का कार्य प्रगति पर है तथा अन्तिम विज्ञप्ति के क्रम में प्लेन टेबल सर्वे कराने हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान 8.00 लाख रुपये के अन्तर्गत 186.00 वर्ग किमी. प्लेन टेबल सर्वे कराने का कार्य प्रगति पर है।

राजस्थान प्रदेश की वन भूमि के सीमांकन के अन्तर्गत 283943 सीमा स्तम्भ (मिनारे) लगाने की योजना वर्ष 2005–06 में बनी हुई है। उक्त योजना उपरान्त विभाग में उपलब्ध संसाधन के अनुसार मीनारे लगवाई जा रही हैं। इस वित्तीय वर्ष 2007–08 में राशि 75.00 लाख रुपये स्वीकृत बजट प्रावधान के अन्तर्गत 7500 मीनारे लगाई जाने का कार्य प्रगति पर है।

8

वन अनुसंधान

वानिकी अनुसंधान कार्यों के लिये राज्य में वन संरक्षक (वन वर्धन) कार्यालय के अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर; वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर; विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म बांकी (सिसारमा) उदयपुर केन्द्र है। वन वर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं जल–मृदा परीक्षण संबंधित दो प्रयोगशालायें भी कार्यरत हैं।

वन अनुसंधान कार्यों की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा देने के लिये विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया गया था। दिनांक 27–02–2007 को शोध परामर्शी समूह की बैठक में वर्ष 2006–07 में किये गये वानिकी प्रयोगों के नतीजों की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2007–08 के लिए 10 प्रयोगों का अनुमोदन किया गया।

वर्ष 2006–07 के लिये अनुमोदित 15 प्रयोगों में से 3 प्रयोग पूर्ण हो गये हैं। 4 प्रयोग निरस्त किये गये एवं 8 प्रयोग वर्ष 2007–08 में भी निरन्तर जारी हैं।

पूर्ण प्रयोगों में वृक्षारोपणों में 9 वर्ष की खेजड़ी, 10 वर्ष की देशी बबूल, 11 वर्ष की शीशम एवं 11 वर्ष की टोर्टलिस द्वारा मृदा को पुनः चक्रित कार्बन, पी. एच. लवणीयता आदि का अध्ययन किया गया। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान स्थित अरावली की पहाड़ियों में फिनोलोजी अध्ययन अनुसार ग्रीष्मकाल में अधिकांश परिवर्तन होते हैं। यहां का परिवेश वन्य जीवों के पोषण के लिये उपयुक्त है। ककेडा *(Maytinus emarginatus)* को नर्सरी में उगाने के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इसके बीज छोटे होते हैं तथा इनका सामान्य परिस्थितियों में अंकुरण 51 प्रतिशत है। अतः इसके 2 बीजों को एक साथ बिना किसी उपचार के सीधे ही पॉलिथिन थैलियों में बोया जाना उचित है।

वर्ष 2007–08 में गत वर्ष के शेष 8 एवं नवीन 10 (कुल 18 प्रयोग) जारी हैं। नवीन प्रयोग प्रुनिंग तकनीक, धौंक का कायिक प्रजनन एवं इसके बीजों के अंकुरण पर रसायनों का प्रभाव, नीम एवं करंज के बीजों की भण्डारण अवधि बढ़ाना, बीजों का सुरक्षित भण्डारण, रूट ट्रेनर एवं पोली बैग में उगे पौधों का फील्ड में तुलनात्मक अध्ययन, मालकागणी, गुगल, तनस, पारस पीपल एवं मुंजाल की नर्सरी तकनीक से संबंधित हैं। इन प्रयोगों के लिये राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना से रुपये 2.10 लाख का वित्तीय आवंटन हुआ है।

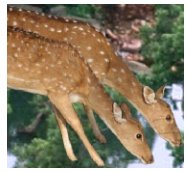

चालू सभी प्रयोगों की समीक्षा आगामी शोध परामर्शी समूह की दिनांक 19.2.08 को प्रस्तावित बैठक में होनी है।

हाईटेक पौधशाला ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर

सीड ग्रेडिंग संयंत्र, वन अनुसंधान केन्द्र, जयपुर

बीज परीक्षण प्रयोगशाला में चालू वर्ष में दिसम्बर, 2007 तक वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त वानिकी प्रजातियों के बीजों के 495 सेम्पल का परीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाई गई है। इसी प्रकार वन विभाग के कार्यालयों एवं किसानों से प्राप्त जल के 23 एवं मृदा के 64 नमूनों की जांच कर रिपोर्ट संबंधित को भिजवाई गई है।

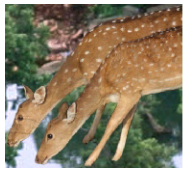

देशी बबूल का 20.00 क्वि. बीज घड़साना (हनुमानगढ़) से एकत्रित करवाया जा चुका है। कुमठे के लगभग 15 क्वि. बीज संग्रहण का कार्य चालू है। करंज, रोंझ, रतनजोत के लिये उन्नत बीज उत्पादक क्षेत्रों की पहचान की कार्यवाही जारी है। बीज उत्पादक क्षेत्रों में से शीशम बीज उत्पादक क्षेत्र, नोरंग देसर (हनुमानगढ़) एवं देशी बबूल बीज उत्पादक क्षेत्र, माण्डेरा रेंज डीग, भरतपुर को प्रदत्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है। रतनजोत के बीज उत्पादक क्षेत्र के अंतिम चयन हेतु तेल की मात्रा जानने के लिये चार विभिन्न क्षेत्रों के सेम्पल नेशनल बोटनिकल रिसर्च संस्थान, लखनऊ को भिजवाये गये हैं। रिपोर्ट अपेक्षित है।

वृक्ष प्रजाति तेन्दू पर जानकारी उपलब्ध कराने वाला सिल्वीकल्चरल नोट तैयार कर तेन्दू क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों एवं वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों को इसकी 30–40 प्रतियां भिजवाई गई हैं।

वन–वर्धन कार्यालय स्थित पुस्तकालय में 830 पुस्तकें उपलब्ध हैं तथा 19 प्रकार की पत्र पत्रिकायें आती हैं। इनसे वानिकी, वन्य जीवन एवं पर्यावरण से संबंधित नवीनतम जानकारियां प्राप्त होती हैं।

ग्रास फार्म नर्सरी परिसर में वन विकास अभिकरण, जयपुर की सहायता से एक हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया गया है।

वन अनुसंधान केन्द्र, गोविन्दपुरा (आरक्षित वन खण्ड बीड गोविन्दपुरा) की 100 बीघा भूमि जो 27 वर्ष से पंचायत समिति, झोटवाड़ा के अधीन थी, में से 81 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित हुई है, शेष 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव जिला कलेक्टर, जयपुर से अपेक्षित हैं।

वन अनुसंधान कार्यालय का अन्य अनुसंधान संस्थाओं यथा देहरादून, जोधपुर, दुर्गापुरा, जोबनेर एवं विश्वविद्यालयों से सम्पर्क रहता है।

बीज परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर

9

विभागीय कार्य

विभागीय कार्य योजना:

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरंकुश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई किए जाने के कारण वनों को अत्यधिक क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकडी, कोयला, इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

विभागीय कार्य योजना के उद्देश्य :

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरोत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कोयला एवं जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना
- पिछड़े वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों को उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना; तथा
- राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति करना आदि।

विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ:

लकड़ी कोयला व्यापार योजना:

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढ़ते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है। प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकड़ी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत्त के वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सड़कों एवं नहर के किनारों पर खड़े वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दस वर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में खड़े परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्ध रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–द्वितीय में सूखे पेड़ों एवं गिरी पड़ी लकड़ी को इकट्ठा कराया जाकर उसका बेचान जैसलमेर विक्रय केन्द्र पर आरम्भ किया गया। वर्ष 2006–07 के दौरान विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत 3.11 लाख क्विंटल जलाऊ लकड़ी एवं 3.51 लाख क्विंटल इमारती लकड़ी विदोहन एवं एकत्रीकरण से प्राप्त हुई। वर्ष 2007–08 में दिसम्बर, 2007 तक 1.38 लाख क्विंटल जलाऊ लकड़ी एवं 1.23 लाख क्विंटल इमारती लकड़ी विदोहन एवं एकत्रीकरण से प्राप्त हुई।

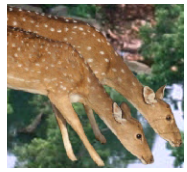

बाँस विदोहन योजना:

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2006–07 के दौरान 10.14 लाख मानक बाँस विदोहन से प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर, 2007 तक 4.16 लाख मानक बांस विदोहन से प्राप्त हो चुके हैं।

काष्ट निर्माण योजना:

इस योजना के अन्तर्गत जयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा व भरतपुर में फर्नीचर निर्माण की इकाइयां कार्यरत थीं। इन इकाइयों द्वारा विभिन्न प्रकार का फर्नीचर मांग अनुसार तैयार किया जाकर सप्लाई किया जाता था, परन्तु राज्य सरकार से फर्नीचर क्रय पर रोक होने से समुचित मात्रा में सप्लाई आदेश न मिलने एवं जयपुर के समीप इमारती लकड़ी की अनुपलब्धता से अलाभप्रद होने के कारण वर्ष 2001–02 में इन इकाइयों को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया था। केवल अवशेष हार्डवेयर का उपयोग किए जाने हेतु सीमित मात्रा में फर्नीचर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। फर्नीचर बेचान से वर्ष 2006–07 में 0.80 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2007–08 में शेष फर्नीचर का कोई बेचान नहीं हुआ है।

राजस्व :

वर्ष 2006–07 के दौरान जलाऊ लकड़ी योजना से 2339.02 लाख रुपये, बाँस बिक्री से 144.23 लाख रुपये एवं फर्नीचर बिक्री से 0.80 लाख रुपये की आय प्राप्त की गई। वर्ष 2006–07 में कुल आय 2484.05 लाख रुपये प्राप्त की गई। वर्ष 2007–08 के संशोधित अनुमानों में लकड़ी कोयला योजना से 1700.00 लाख रुपये, बाँस योजना से 187.00 लाख रुपये की आय के लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं, जिसके विरुद्ध माह जनवरी, 2008 तक क्रमश: 1138.75 लाख रुपये लकड़ी कोयला योजना से प्राप्त हुए हैं तथा 115.60 लाख रुपये बाँस योजना से प्राप्त हुए है। कुल आय 1254.35 लाख अर्जित की जा चुकी है।

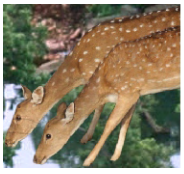

छाया : आर.एस.शेखावत

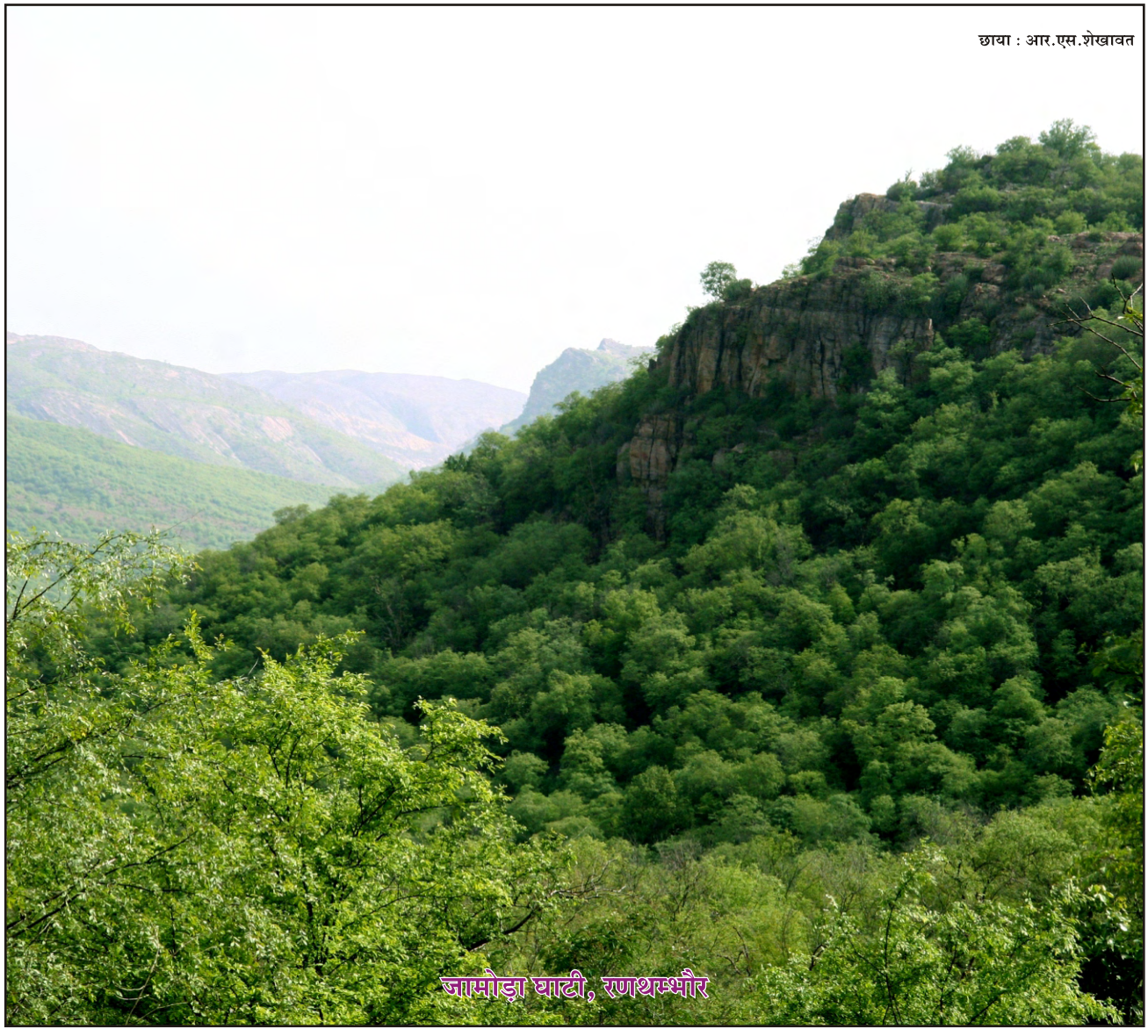

जामोड़ा घाटी, रणथम्भौर

10

तेन्दू पत्ता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, धौलपुर, अलवर आदि जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

अन्य निकटवर्ती राज्यों की भांति तेन्दू पत्ता का राजस्थान राज्य में भी वर्ष 1974 से राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 पारित कर राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेन्सियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत विभिन्न वन वृत्तों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रत्येक वृत्त हेतु पृथक्–पृथक् सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें संबंधित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रति वर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहणकर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती हैं। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता उत्पादन क्षेत्रों को इकाइयों में विभक्त कर इकाई का गठन किया जाकर, उनका बेचान निविदा/नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से शेष रही इकाइयों में राज्यादेशों के अनुरूप विभागीय तौर पर पत्ता संग्रहित करवाया जाकर पत्तों का बेचान नीलामी द्वारा किया जाता है अथवा पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2007–08 में राज्य में कुल 183 तेन्दू पत्ता इकाइयों का गठन किया गया था, जिनके निष्पादन से निम्नानुसार आय प्राप्ति का अनुमान है:–

क्र.सं.	निष्पादन का तरीका	इकाइयों की संख्या	विक्रय से प्राप्त आय (अनुमानित)
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	183	16.62 करोड़ रु.
2.	विभागीय संग्रहण कर पत्तों के विक्रय द्वारा	–	–
3.	पड़त रही इकाइयां	–	–
	योग	**183**	**16.62 करोड़ रु.**

नोट : वनमण्डल झालावाड़ की वर्ष 2007 की इकाई संख्या 59–टेकली, 61–बिन्दाखेड़ा, 82–झालावाड़ व 85–बगदर के क्रेता के बैक आउट हो जाने के फलस्वरूप राशि रु. 26,10,000/– कम प्राप्त होगी।

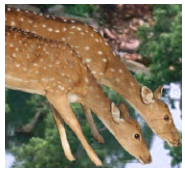

छाया : महेन्द्र सक्सेना

राम बांस के फूल

11

सूचना प्रौद्योगिकी

विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी हेतु पृथक् से एक वन संरक्षक स्तर का पद सृजित है। इस शाखा के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समस्त कार्यकलापों को रखा गया है। इस शाखा द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

विभागीय वेबसाइट (www.rajforest.nic.in) – वर्तमान में विभागीय वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों को जन–जन तक पहुंचाने हेतु अनेक उपयोगी सामग्री डाली गई है और निरन्तर प्रयास कर इसे अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है। राजस्थान की वन सम्पदा के क्षेत्रफल, प्रकार एवं उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियां, वनों के सम्बन्ध में लागू होने वाले कानून, वन प्रबन्ध, वन संरक्षण एवं परियोजनाओं की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसमें राज्य के वन संसाधनों का नवीनतम विवरण दिया गया है। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति का मासिक तौर पर नवीनतम विवरण दिया जा रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान विभागीय वेबसाइट की पुनर्संरचना का कार्य किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वेबसाइट को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचनाओं को यथासम्भव अपडेट, अधिक व्यवस्थित सूचनाएं, उपयोगी लेक एवं उनका दृश्यांकन अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बनाया गया है। वेबसाइट पर वन्यजीव सम्बन्धी सूचनाओं के अपडेशन का कार्य विभाग के वन्यजीव प्रभाग द्वारा अलग से किया जा रहा है।

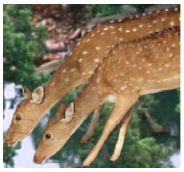

जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (Geographical Information System) – इसके अन्तर्गत स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर के सहयोग से वन एटलस बनाने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक पूर्व में तैयार आठ जिलों के जी.आई.एस. डाटा बेस का कार्य किया गया था, उनके conversion का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और विभिन्न प्रकार की सैकण्डरी लेयर्स जिनमें सीमाएं, जलस्रोत, ड्रेनेज सिस्टम, विलेजेज, रोड्स के चिन्हीकरण/ डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फोरेस्ट मेप्स की वर्गीकृत इमेजेज के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से सम्पर्क किया गया है। उनसे नवीनतम इमेजेज रिपोर्ट रिलीज होने पर प्राप्त करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। फोरेस्ट बाउण्ड्री डिजिटाइजेशन

विभागीय वेबसाइट का होम पेज

मानव संसाधन विकास

वन प्रशिक्षण :

राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति में अधिकारियों को प्रशिक्षण के साथ–साथ सभी स्तरों के कर्मचारियों के निरन्तर प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया गया है। टिकाऊ विकास की ओर हमारी यात्रा समस्या आधारित ज्ञान के उत्पादन व उपयोग पर निर्भर है। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य ज्ञान को नीति तथा कार्य से जोड़ने में मदद करना है। तद्नुसार इस वर्ष राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण में दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले परिवर्तन किये गये हैं। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ने ज्ञान को कार्य से जोड़ने की रणनीति पर आधारभूत और व्यापक कार्य प्रारम्भ किया। इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिये ज्ञान को कार्य से जोड़ने की रणनीति पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन का उत्तरदायित्व वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर को सौंपा गया था। भारतीय वन सेवा अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन जनवरी माह में सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया है। भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान व भारतीय वन प्रबंध संस्थान सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी इस कार्यक्रम से जुड़ने व सहयोग की इच्छा प्रकट की है।

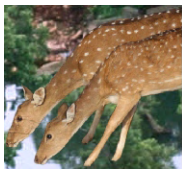

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाने हेतु वर्ष 2007–08 के दौरान संपादित प्रमुख कार्य निम्नानुसार रहे हैं :–

1. प्रशिक्षण के लिये दीर्घकालीन आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण तथा संस्थान के गेस्ट हाउस का नवीनीकरण कराया गया।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की राजस्थान के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण विधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता–वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
3. उच्चकोटि के विद्वानों को विजिटिंग प्रोफेसर व अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित करने हेतु मानदेय दरों में समुचित वृद्धि की गई है।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत भारतीय वन सेवा के अधिकारियों व हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल तथा राजस्थान राज्यों के वन अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा अधीनस्थ वन कर्मियों हेतु नवीन कार्यक्रमों की स्वीकृति दी गई है।
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के साथ एक सहमति पत्र (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अन्तर्गत मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान को क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता दी गयी है। वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं सुरक्षा समिति के सदस्यगण वन एवं पर्यावरण संबंधी पाठ्यक्रम की सुविधा लेते हुए अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं।

विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबंध एवं विकास के तहत प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशिक्षण देने में जुटी राज्य की तीनों संस्थाएं यथा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर में स्थित है।

इन संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण अग्रानुसार प्रस्तुत है :

❑ वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर:

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा भारतीय वन सेवा के विभिन्न राज्यों के अधिकारियों हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की वर्कशॉप सहित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। इनमें करीब 950 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रेणी उच्च स्तरीय रही है।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना अन्तर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारी व स्टाफ का ओरियेन्टेशन कोर्स आयोजित किया गया जिसमें 170 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक से लेकर उप वन संरक्षक तक सभी स्तरों के लिए एक साथ साझा वन प्रबंध पर कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, वन्य जीव अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधों को न्यायालय में समुचित प्रकार से प्रस्तुत करने व पैरवी करने हेतु भी दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरिस्का, रणथम्भौर, प्रतापगढ़, कैलादेवी वन्य जीव क्षेत्रों के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को बुलाकर प्रशिक्षित करवाया गया।

❑ मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर:

इस वर्ष इस केन्द्र पर वनरक्षक, वनपाल के पुनःश्चर्या एवं नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है, इनमें कुल 106 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया तथा वहां भवन का आधुनिकीकरण कराया गया है।

❑ राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर:

इस केन्द्र पर वनपाल नियमित प्रशिक्षण का 55वां सत्र, वनपाल पुनःश्चर्या प्रशिक्षण, वनरक्षक पुनःश्चर्या प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षणों के 5 कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। इनमें 150 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

औषधि उद्यान, बांसवाड़ा

❑ अभिप्रेरण :

वन संरक्षण व विकास में जुटे मानव संसाधनों को अभिप्रेरित करने के लिए उन्हें उत्तम निष्पत्ति दिखाने पर पुरस्कृत किया जाता है। इनका विवरण इस प्रकार है :–

राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार प्रोत्साहन :

वनों के संरक्षण, विकास, सुरक्षा, विस्तार एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/विभागीय कर्मचारियों–अधिकारियों को वन विभाग, राजस्थान तथा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार पुरस्कार स्वरूप नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हैं।

वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं वन्य जीव संरक्षण के उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार (प्रति वर्ष नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र) :

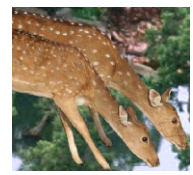

• वन विकास के उत्कृष्ट कार्य हेतु 'वृक्षवर्धक' पुरस्कार (नकद राशि एवं प्रमाण-पत्र)

	राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर
(1) वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाले निजी व्यक्ति/कृषक	1000/–	500/–
(2) वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठान	1000/–	500/–
(3) वृक्षारोपण का सर्वोत्तम कार्य करने वाली शिक्षण संस्था	1000/–	500/–
(4) वृक्षारोपण का सर्वोत्तम कार्य करने वाली पंचायत	1000/–	500/–
(5) शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करवाने वाली नगरपालिका/परिषद् (स्थानीय निकाय)	1000/–	500/–

(6) खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर पुनर्वास
करने वाला व्यक्ति/संस्था 1000/–500/–

• वन जीवन, वन सुरक्षा एवं संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु 'वन प्रहरी' (नकद राशि एवं प्रमाण-पत्र)

(1) सर्वोत्तम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन कार्य
करने वाली संस्था ग्राम स्तरीय
वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति 1000/–500/–

(2) वृक्षों/वनों की सुरक्षा में सहयोग का
उत्कृष्ट कार्य करने वाला निजी व्यक्ति/संस्था

• वानिकी प्रसार प्रचार हेतु 'वन विस्तारक' पुरस्कार (नकद राशि एवं प्रमाण-पत्र)

(1) प्रचार प्रसार का सर्वोत्तम कार्य करने वाला निजी व्यक्ति

(2) प्रचार प्रसार का उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था

• वनाधिकारियों तथा वनकर्मियों हेतु 'वनपालक' पुरस्कार (नकद राशि एवं प्रमाण-पत्र)

(1) सर्वोत्तम वन रक्षक

(2) सर्वोत्तम वनपाल

(3) सर्वोत्तम क्षेत्रीय (ग्रेड–I एवं II)

(4) सर्वोत्तम वनमण्डल शील्ड

• 'वानिकी लेखन एवं अनुसंधान' पुरस्कार

वानिकी क्षेत्र में मौलिक, सृजनात्मक एवं
अनुसंधान कार्य जैसे लेख, पुस्तक, 2000/– –
अनुसंधान, पत्र लिखने वाले व्यक्ति को पुरस्कार

• 'वानिकी पण्डित' पुरस्कार (नकद राशि एवं प्रमाण-पत्र)

वन सुरक्षा, संवर्धन, प्रचार–प्रसार का समग्र रूप से पूरे राज्य में सर्वोत्तम कार्य करने वाला व्यक्ति/निजी संस्था/विभाग
(वन विभाग के अतिरिक्त) 5000/– –

वर्ष 2005 के पुरस्कार इस वित्तीय वर्ष में प्रदान किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

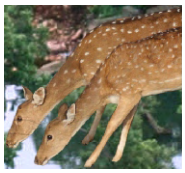

वृक्षवर्धक पुरस्कार

श्रेणी	पुरस्कृत व्यक्ति का नाम/संस्था
• वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/कृषक	श्री प्रदीप शर्मा, वरमूल डेयरी, जोधपुर ऑपरेटर ग्रेड–प्रथम

वनपालक पुरस्कार

श्रेणी	पुरस्कृत व्यक्ति का नाम/संस्था
1. सर्वोत्तम वनरक्षक	1. श्री रामचन्द्रसिंह, रेंज बस्सी वनमण्डल, जयपुर (दक्षिण) 2. श्री विरेन्द्र सिंह चौहान, रेंज गढ़ी वनमण्डल, बांसवाड़ा
2. सर्वोत्तम वनपाल	1. श्री नटवर सिंह शक्तावत, रेंज आतरी वनमण्डल, डूंगरपुर 2. श्री चतरसिंह अहाड़ा, रेंज देवला वनमण्डल, उदयपुर (मध्य) 3. श्री तेजकुमार शर्मा, वनपाल, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर

3.	सर्वोत्तम क्षेत्रीय	1. श्री फतेहसिंह राठौड़, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सायरा, उदयपुर (उत्तर) 2. श्री भोजराज सिंह राजावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बस्सी, जयपुर (दक्षिण) 3. श्री संग्राम सिंह चूड़ावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सलूम्बर, उदयपुर (दक्षिण)
4.	सर्वोत्तम वनमण्डल	वनमण्डल, बांसवाड़ा
5.	वानिकी लेखन एवं अनुसंधान पुरस्कार	श्री अजीत कुमार कोठिया, नि. डडूका, बांसवाड़ा

❑ अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार :

(1) वन विकास, संरक्षण एवं वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/पंचायत/ग्राम स्तरीय संस्थायें — 50000/– एवं प्रमाण–पत्र

(2) वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति — 25000/– एवं प्रमाण–पत्र

(3) वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति — 25000/– एवं प्रमाण–पत्र

वर्ष 2006 के अमृता देवी पुरस्कार इस वर्ष निम्न को प्रदान किये हैं :–

श्रेणी	पुरस्कृत व्यक्ति का नाम/संस्था
• वन विकास, संरक्षण एवं वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति / पंचायत / ग्राम स्तरीय संस्थान	1. ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति, शम्भूपुरा, वनमण्डल, बांसवाड़ा, जिला–उदयपुर 2. श्री राज राजेन्द्र बसन्ती देवी किशोरमल खीमावत चेरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई/रानी, जिला–पाली
• वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति	स्व. श्री राधेश्याम गोचर ग्राम कारिरीया, पो. मण्डिता, कोटा
• वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति	स्व. श्री गंगाराम विश्नोई, रेहड़ा की ढ़ाणी, तहसील–रोहट, जिला–पाली

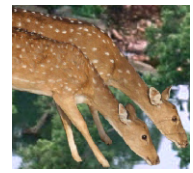

❑ पद्म श्री कैलाश सांखला पुरस्कार :

वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में असाधारण कार्य जैसे वन्य जीवों की शिकारियों से रक्षा करना, घायल जीवों को समय पर राहत पहुंचाकर उनका जीवन बचाना, वन्य जीव क्षेत्रों में घटित वन अपराध, अग्नि आदि की रोकथाम में किये गये उत्कृष्ट प्रयत्न एवं वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले वनकर्मियों एवं नागरिकों को दिया जाता है।

इस पुरस्कार के अन्तर्गत प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसमें रुपये 25,000/– राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं एवं रु. 25,000/– की राशि का योगदान टाईगर ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।

❑❑❑

13

संचार एवं प्रसार

किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्य तथा उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के बारे में जनसाधारण को पूर्ण जानकारी हो। वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने एवं वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग में मुख्यालय एवं परियोजना स्तर पर प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं। संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) अन्तर्गत इस वर्ष माह दिसम्बर, 2007 तक मुख्य रूप से निम्न कार्य किये गये हैं:–

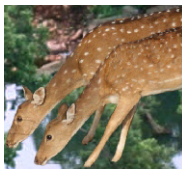

- मेलों, प्रदर्शनियों इत्यादि में वृक्षों के महत्व दर्शाने वाले पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाकर जन चेतना जागृत की गई। इस वर्ष दिसम्बर, 2007 तक 3 राज्य एवं जिला स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है।
- विश्व वानिकी दिवस, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, अमृता देवी वृक्ष दिवस आदि के आयोजन के जरिये विद्यार्थियों, कृषकों व जन–सामान्य में वानिकी के प्रति रुझान पैदा किया गया।
- फिल्म प्रदर्शन के जरिये जन–साधारण को वानिकी एवं कृषि वानिकी की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
- वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जन–साधारण एवं बच्चों में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन कर प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गईं।
- धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से जनोपयोगी स्थलों पर प्रदर्शनी का आयोजन कर जन–चेतना जागृत की गई।

वानिकी गतिविधियों की प्रदर्शनी

- वन सुरक्षा एवं वृक्षारोपण के प्रति जनता में रुचि जागृत करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने संबंधी योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया।

चित्रकला प्रतियोगिता 53वां वन्य जीव सप्ताह

- प्रत्येक माह नियमित रूप से ''वानिकी समाचार'' पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जनता को जानकारी प्रदान की गई।
- दूरदर्शन पर 2 चौपाल वार्ताएं दी गईं तथा प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को वानिकी संबंधी Time check spot (mute) प्रसारित करवाये जा रहे हैं।
- वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जागरूकता में अभिवृद्धि हेतु जन चेतना जागृति के लिए आकाशवाणी के एफ.एम. रेडियो चैनल पर

राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस 2008 पर निकाली गई वन विभाग की झांकी एवं प्रथम घोषित होने पर जल संसाधन मंत्री माननीय सांवरमल जाट से शील्ड प्राप्त करते सहायक वन संरक्षक, अजमेर जे. पी. भाटी

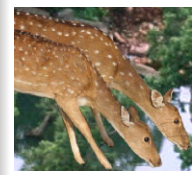

प्रतिदिन वानिकी विज्ञापन एवं मिडियम वेव चैनल पर प्रत्येक बुधवार को वानिकी चौपाल कार्यक्रम अन्तर्गत ''धरा की पुकार'' का प्रसारण विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2006 से लगातार प्रायोजित किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2007 तक 40 वार्ताएं प्रसारित की जा चुकी हैं।

- वर्षा ऋतु के दौरान जनसाधारण को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री की अपील प्रमुख समाचार पत्रों में प्रसारित करवाई गई।
- विभिन्न प्रकार का साहित्य यथा पोस्टर, फोल्डर्स, पैम्फलेट्स, बुकलेट्स, हैण्डबिल्स तैयार करवाकर वितरित किये गये।
- विद्यालयों में विद्यार्थियों को वनों एवं वन्य जीवों के पर्यावरण संतुलन में योगदान संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
- 17 पर्यावरण जागरूकता कैम्प, 9 पदयात्राएं, 15 वन महोत्सव इस वित्तीय वर्ष में आयोजित किये जा चुके हैं।
- जन जागरूकता हेतु विभाग की 4 वर्षीय महत्वपूर्ण उपलब्धियों संबंधी साहित्य प्रकाशित कर वितरित किया गया।
- गांवों में जगह–जगह पर, दीवारों पर, सड़कों के किनारे चट्टानों पर वानिकी संबंधी लोक–लुभावन नारे लिखवाकर जन चेतना अभिवृद्धि का प्रयास किया गया।
- **दसवीं पंचवर्षीय योजना तक के वन प्रबन्ध के इतिहास का पुस्तकाकार में ''विरासत'' शीर्षक से प्रकाशन।**
- ग्लोशाइन बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से भी संचार प्रसार किया गया।
- **इस वर्ष 26 जनवरी को अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में वन विभाग की झांकी को सभी झाकियों में प्रथम घोषित कर शील्ड प्रदान की गई।**

अजमेर में संचार-प्रसार के सफल परिणाम

वर्ष 2007 की ग्रीष्म ऋतु आरम्भ होते ही अजमेर जिले की सरवाड़ रेंज में राष्ट्रीय पक्षी मोरों के मरने की घटनाएं होने लगीं। विभाग ने इस पर मुकदमे दर्ज कराए जिनमें कतिपय मुल्जिमों को ''ज्यूडिशियल कस्टडी'' हुई किन्तु मोरों के मरने की घटनाएं नहीं रुकीं।

इस पर वृत्त स्तर पर वन संरक्षक, अजमेर ने वनाधिकारियों की एक बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में यह तय किया गया कि सम्भावित अपराधियों का सर्वेक्षण कर उन्हें आवश्यक समझाइश की जाए।

वन मण्डल अधिकारी, सहायक वन संरक्षक व अधीनस्थ स्टाफ ने सरवाड़ के फतेहपुरा क्षेत्र में बावरियों, मोगिया व अन्य जातियों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया, पूछताछ व जांच की, आकर्षक पोस्टर व पैम्फलेट छपवाकर आमजन से मुल्जिमों को पकड़ने में मदद की अपील की गई। बावरिया व मोगिया जाति के लोगों की बैठकें कर उन्हें मोर का शिकार न करने की समझाइश की। मोर प्रजाति का महत्व तथा शिकारियों की 'ज्यूडिशियल कस्टडी' के बारे में विस्तार से बताया गया।

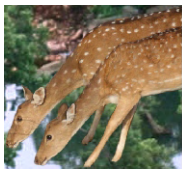

मण्डल के ये प्रयास भरपूर रंग लाए। सरवाड़ व जिले के अन्य भागों में मोरों के मारे जाने की घटनाएं नगण्य हो गईं।

सामाजिक आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध

पूर्व में वनों का वैज्ञानिक तरीके से विदोहन कर अधिकाधिक आय प्राप्त करना वन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। कालान्तर में पर्यावरण के संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रों के विदोहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

वनों का प्रत्यक्ष योगदान

❑ निःशुल्क लघु वन उपज प्राप्ति :

वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें लाभ में हिस्सा दिये जाने के उद्देश्य से 'जन सहभागिता' की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्ण जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वनों तथा वन विकास कार्यों से प्राप्त होने वाले सकल लाभों में स्थानीय जनता की भागीदारी

सुरक्षा समिति की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण में पौधों के साथ–साथ सनाय की खेती

सुनिश्चित की गई। वानिकी विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि, पंचायत भूमि अथवा राजस्व भूमि की उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को घास, छांगण आदि के रूप में करोड़ों रुपये मूल्य की लघु वन उपज निःशुल्क प्राप्त हो रही है।

❑ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में वनों का योगदान

वनों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से है। वानिकी सेक्टर के विभिन्न घटकों द्वारा राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान इस प्रकार है :–

घटक	योगदान (लाख रुपयों में)
ईंधन	22100.00
चारा	126750.00
इमारती लकड़ी	16800.00
लघु वन उपज	5200.00
योग	**170850.00**

• लघु वन उपज की आपूर्ति

राज्य में ग्रामीणों के सहयोग से प्रबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली घास व अन्य लघु वन उपज ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकें और वन उपज का वैज्ञानिक प्रबन्धन भी हो सकें।

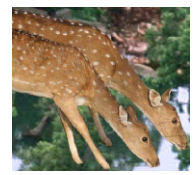

इस वर्ष समितियों के माध्यम से 5 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक की निम्न उपज निःशुल्क वितरित की गई :–

क्र.सं.	वन उपज	मात्रा	अनुमानित मूल्य (रु.)
1.	घास	802234.03	4,83,00,018.00
2.	लघु वन उपज	182357.10	10,60,239.00
3.	अन्य उपज	31463.00	12,55,851.00
	योग	**1016054.13**	**5,22,85,783.00**

• स्वयं सहायता समूह

राज्य में निवास करने वाली आदिवासी जातियां एवं निर्धन व पिछड़े वर्ग के ग्राम समुदाय अपनी आजीविका के लिए निकटवर्ती वनों पर आश्रित होते हैं। ये समुदाय वनोपज निकास कर अपना

छाया सौजन्य : एस. एस. चौधरी

लघु वन उपज निकासी

जीवन चलाते हैं और अनजाने ही वनों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभाग इनके स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर, विभिन्न उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, विक्रय आदि का प्रशिक्षण व कार्य आरम्भ करने हेतु ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका अर्जन के अवसर देता है।

राज्य में अब तक ऐसे 1204 समूहों का गठन किया गया है। इसमें से 607 समूह केवल महिलाओं के तथा 597 समूह पुरुषों के हैं। ये समूह मसाला निर्माण, अनाज बैंक, वर्मीकम्पोस्ट का

छाया सौजन्य : के. पी. गुप्ता

पेपर बॉक्स बनाने वाला स्वयं सहायता समूह, करमोड़ा

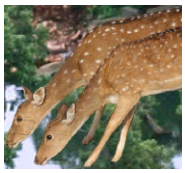

उत्पादन, गुडिया व दरी निर्माण, बांस का विभिन्न सामान बनाने तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं के विक्रय केन्द्र का संचालन, अगरबत्ती तथा मिठाई के लिए पैकिंग के डिब्बे आदि बनाने, फूलों की खेती व अन्य अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। इनमें से अनेक समूहों का बैंक लिंकेज भी हो चुका है।

अकेली राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में कुल 997 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं जिनकी कुल सदस्य संख्या 12095 है। ये समूह डेयरी, सिलाई उद्योग, दरी निर्माण, मुर्गीपालन एवं लघु बैंकिंग कार्य से जुड़े हैं। वर्ष 2007–08 तक इन समूहों में 21.68 लाख रु. की राशि समूह सदस्यों की है तथा इन्हें 68.31 लाख रु. ऋण दिया गया है। कुछ समूहों ने ऋण की अदायगी वापिस शुरू कर दी है तथा अक्टूबर, 2007 तक 1973490 रु. वापिस कर चुके हैं।

● आधारभूत संरचना का विकास

परियोजना अन्तर्गत ग्राम विकास के लिये प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत अनेक गतिविधियां की जाती हैं, इनमें सामुदायिक भवन का निर्माण, यात्री विश्राम गृह, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, चबूतरा, पशु चिकित्सा शिविर, सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया जाता है। इन कार्यों में अपने अंशदान के रूप में ग्रामवासियों ने 9117787 रु. राशि उपलब्ध कराई है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम में अनेक सामुदायिक विकास के कार्यक्रम किए जाते हैं जिनका विस्तार से विवरण अध्याय में है।

● स्थानीय लोगों को रोजगार

वानिकी विकास, विदोहन व वन उत्पाद संग्रह संबंधी विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से वन क्षेत्रों के आसपास अंदरूनी क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के श्रम साध्य लोगों को प्रतिवर्ष स्थानीय स्तर पर जीविकोपार्जन के लिए रोजगार उपलब्ध होता है, जिससे इन लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने से छुटकारा मिलता है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में (दिसम्बर, 2007 तक) 105.32 लाख मानव श्रम दिवसों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि विभाग इन लोगों को वर्ष में ऐसे समय में रोजगार उपलब्ध कराता है, जब इन लोगों के लिए अन्य कोई काम नहीं होता। इससे मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) से निजात मिलती है।

कुटीर उद्योगों की स्थापना

वन आधारित समुदायों को वैकल्पित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उदयपुर संभाग के कतिपय नवीन गतिविधियां आरम्भ की गई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :–

एलोवेरा उत्पादन:

वन मण्डल उदयपुर (मध्य) में वृक्षारोपण क्षेत्रों में ऐलोवेरा के पौधे लगाये गये हैं। ऐलोवेरा विपणन को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पूर्व में ऐलोवेरा का रोपण किया गया था उन्हें एन आर ई जी एस मद में लिया जाकर ऐलोवेरा का वृहद स्तर पर रोपण किया गया है। इसका इससे आगामी वर्ष में एक स्थल से लगभग 50 हजार लीटर ऐलोवेरा ज्यूस का प्रतिमाह उत्पादन हो सकेगा। इसका विपणन अगले वर्ष अक्टूबर माह में आरम्भ किया जायेगा।

अगरबत्ती स्टिक्स :

बाँस सुधार कार्य के दौरान निकल रहे वेस्ट बेम्बू से अगरबत्ती स्टिक्स बनाने का प्रशिक्षण नेशनल बेम्बू मिशन के सौजन्य से गांव क्यारियां (रेंज ओगणा) के लोगों को दिलाया गया है। क्यारियाँ गाँव में अगरबत्ती निर्माण केन्द्र की स्थापना करने के उद्देश्य से कटर मशीन , चिप्स मशीन एवं अगरबत्ती स्टिक्स

बनाने की मशीन तैयार करवा ली गई है। उपलब्ध वेस्ट बेम्बू से 60 किलो अगरबत्ती स्टिक्स बनाई जाकर आई.टी.सी. के प्रतिनिधि को भेजी गई है। इसके विपणन हेतु कई अगरबत्ती निर्माता कम्पनियों से वार्ता चल रही है ।

लेमन ग्रास:

इसमें पाये जाने वाले सुगन्धित तेल की वजह से यह आर्थिक महत्व की उपज है। इस वर्ष स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लेमन ग्रास की उन्नत वैराइटी का रोपण लखनऊ से मंगाकर किया गया है। इसके विक्रय हेतु निर्यातक संस्था से वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का एम.ओ.यू. हो चुका है। इस वर्ष 2.5 टन सूखी लेमन ग्रास विक्रय से वन सुरक्षा समिति सैलाना को 30 हजार रुपये की आय हुई है। लेमन ग्राम का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोपण व विदोहन करवाकर 'शार्टरोटेशन' पर आर्थिक लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है ।

अदरक से सौंठ:

उदयपुर जिले के झाडोल क्षेत्र में अदरक का उत्पादन बहुतायत से होता है। स्थानीय लोगों को अदरक से सौंठ बनाने का प्रशिक्षण कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिलवाया गया व लगभग 400 किलो अदरक की सौंठ बनवाई गई। प्रशिक्षण के दौरान तैयार हुई सौंठ को सहकारी उपभोक्ता भण्डार, उदयपुर को विक्रय हेतु भेजा गया। निर्यातकों द्वारा भी इस उत्पाद को पसन्द किया गया है।

दाल मिल स्थापना :

वन मण्डल उदयपुर मध्य के झाडोल एवं कोटड़ा क्षेत्र में तूअर बहुतायत से होता है। क्षेत्र में दाल बनाने के संसाधन नहीं होने से किसानों को तूअर का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन को ध्यान में रखते हुए करेल गांव के उत्साही महिला व पुरुषों को दाल बनाने का प्रशिक्षण कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर से दिलवाया गया। इसके पश्चात् एक हजार किलो तूअर की दाल उन्हीं लोगों से बनवाकर सहकारी उपभोक्ता भण्डार के माध्यम से विक्रय की जा चुकी है। जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दाल मिल भवन निर्माण हेतु 4 लाख रुपये एवं दाल मिल स्थापना हेतु 1.60लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। दाल मिल भवन का निर्माण प्रगति पर है। इस वित्तीय वर्ष में गाँव करेल एवं कोटड़ा में दाल मिल लगाई जावेगी । तैयार दाल के विक्रय हेतु उदयपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार के साथ विक्रय हेतु रणनीति तैयार कर ली गई है। इस तरह उदयपुर क्षेत्र में वन आधारित समुदायों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने के उद्देश्य से अनेक नवीन कुटीर उद्योग स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वनों का परोक्ष योगदान

• पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में वनों का सर्वाधिक परोक्ष योगदान है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार आकार का एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के मूल्यों पर आधारित लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से प्रतिवर्ष अरबों–खरबों रुपये मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

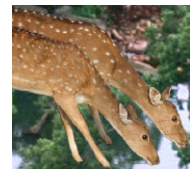

• साझा वन प्रबन्ध

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने का विधिवत कार्यक्रम 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से आरम्भ कर दिया गया था। समय–समय पर इस आदेश में वांछित संशोधन किए जाते रहे हैं। वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए 17.10.2000 व संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए

वन सुरक्षा समिति की बैठक

दाल मिल

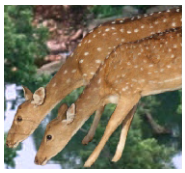

लेमन ग्रास

छाया सौजन्य: ए.के. उपाध्याय

एलोवेरा उत्पादन

अगरबत्ती स्टिक्स

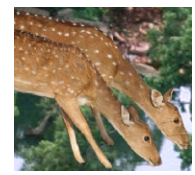

छाया सौजन्य: ए.के. उपाध्याय

आधारभूत संरचना का विकास : पशुओं के लिए पेयजल

24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबन्ध की संकल्पना की क्रियान्विति की जाती है। राज्य में वर्तमान में 175 ईको डवलपमेंट कमेटियां गठित की जा चुकी हैं।

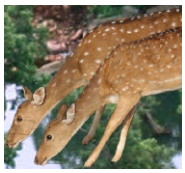

वर्तमान में राज्य में 4882 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित हैं जो लगभग 779322.1 हैक्टेयर क्षेत्र का प्रबन्धन कर रही हैं। समितियों द्वारा प्रबन्धित कुल क्षेत्र में से 116076 हैक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र तथा 43892 हैक्टेयर वन खण्डों का क्षेत्र है।

राज्य में कार्यरत समितियों में से 4243 पंजीकृत समितियां हैं तथा शेष 639 नवगठित समितियां पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं। कुल समितियों में 540985 व्यक्ति सदस्य हैं जिनमें से 183103 महिलाएं हैं। कुल सदस्यों में 67685 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 254035 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से हैं। कुल समितियों में से 3669 समितियों में महिलाओं की उप समितियों का गठन का कार्य पूर्ण हो गया है।

राज्य की कुल समितियों में से 2857 समितियों ने अपने बैंक खाते खोल रखे हैं जिनमें 629.443 लाख रुपये की धनराशि जमा है। 706 समितियों ने पृथक् से अनुरक्षण कोष स्थापित कर रखे हैं जिनमें 4,33,90,745 रु. की विशाल धनराशि जमा है। यह अनुरक्षण कोष विभागीय गतिविधियों के बन्द होने के बाद क्षेत्र के प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था से भारी व्यय के बाद तैयार वृक्षारोपण का बजट के अभाव में नष्ट होने का खतरा समाप्त हो जाएगा।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में राज्य में नवगठित वन सुरक्षा समितियों को 1.5 लाख रु. आधारभूत संरचना के विकास के लिए, 1.00 लाख रु. परियोजना अवधि में सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु कारपास फण्ड सृजित करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक समिति को आय सृजन गतिविधियों हेतु 80,000 रु. उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि समिति के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को 20,000 रु. प्रति समूह, कार्यकारी पूंजी के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे वे अपनी रोजगार सृजन की गतिविधियां आरम्भ कर सकें।

● समितियों के कोष में राशि

राज्य में कार्यरत सभी ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों ने ग्राम विकास व सामाजिक कल्याण के लिए कोष की स्थापना कर रखी है। राज्य में कार्यरत 4882 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के पास आय के रूप में रु. 2,62,96,510.00 जमा हैं। इस राशि में 3893060.00 सदस्यता शुल्क से 91008.00 रु. वन अपराधों के शमन से, लघु वन उपज पर प्रभार (रायल्टी) वसूलने से 2469948 रु. तथा अन्य स्रोतों से 19842494.00 रु. प्राप्त हुए हैं।

छाया : अनुराग भटनागर

ग्राम पंचायत को वन संसाधन से धन

वन एवं ग्राम विकास की एक कहानी

वृक्षारोपण ग्राम्य वन बड़ौदिया वर्ष 1985 :

जयपुर जिले के अन्तर्गत पंचायत समिति चाकसू के क्षेत्र में वन भूमि शून्य है। वन विकास कार्यक्रम में समाज को जोड़कर ग्राम बड़ौदिया में ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त कर वर्ष 1985 में 45 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया, जिसमें से 35 हैक्टेयर चारागाह भूमि पर एवं 10 हैक्टेयर गैर मुमकीन नदी पर वृक्षारोपण करवाया गया। वृक्षारोपण के दौरान कुछ लोगों के समूह द्वारा वृक्षारोपण का विरोध किया गया जिनके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही सम्पादित करवाने के उपरान्त वृक्षारोपण करवाया गया। उक्त वृक्षारोपण में मुख्यतया अकेशिया टोरटलिस, सफेदा, शीशम, अरडू के पौधे लगाये गये थे। उक्त वृक्षारोपण को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र अवार्ड से भारत सरकार द्वारा नवाजा गया। वर्ष 1991 में उक्त वृक्षारोपण भावी प्रबन्ध वास्ते ग्राम पंचायत बड़ौदिया को संभलाया गया। ग्राम पंचायत बड़ौदिया के अथक प्रयासों से उक्त वृक्षारोपण विदोहन योग्य हो गया। वृक्षारोपण के विदोहन हेतु एक प्रबन्ध योजना बनाई जाकर ग्राम सभा से अनुमोदित कराई गई। विभाग की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात् दिनांक 15 दिसम्बर, 2007 को ग्राम पंचायत ने वृक्षारोपण की नीलामी की सूचना जारी की जिसे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 20–12–2007 एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19–12–2007 को प्रकाशित किया गया। व्यापक मुश्तहरी वास्ते ग्राम पंचायत ने पैम्फलेट छपवाकर जगह–जगह वितरण करवाया ताकि व्यापक प्रचार हो सके एवं अधिकतम बोली लगाने वाले व्यापारी नीलामी में सम्मिलित हो सकें।

बड़ोदिया वृक्षारोपण

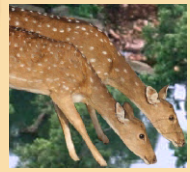

वृक्षारोपण का नीलामी कार्य :

नीलामी का कार्य दिनांक 16 जनवरी से 18 जनवरी, 2008 तक लगातार तीन दिन सम्पादित हुआ। नीलामी में 22 पार्टियों द्वारा 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जमा करवाकर सक्रिय रूप से भाग लिया गया।

अंतिम बोली अधिकतम श्री हनुमान सहाय शर्मा निवासी छांदेल (चाकसू) की रुपये 79,00,100/– रही मौके पर उसी दिन दिनांक 18–01–2008 को चौथाई राशि रुपये 19,75,025/– बतौर सिक्योरिटी तुरन्त जमा करवायी गयी।

प्रबन्ध योजना के अनुसार नीलामी राशि चार बराबर–बराबर किस्तों में रुपये 19,75,025/– क्रेता द्वारा जमा करवायी जावेगी। पहली किस्त 25 प्रतिशत ठेका समाप्ति के तुरन्त बाद, दूसरी किस्त 25 प्रतिशत वृक्षों का विदोहन आरम्भ करते समय से पूर्व, तृतीय किस्त 25 प्रतिशत माल निकासी पर तथा अंतिम चौथी किस्त 75 प्रतिशत माल निकासी पर क्रेता द्वारा जमा करवायी जावेगी। यह निर्णय किया गया कि पहली एवं तीसरी किस्त की राशि वन विभाग में जमा

बड़ोदिया वृक्षारोपण

इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के साथ बड़ौदिया के ग्रामवासी

करायी जावेगी, शेष किस्तें ग्राम पंचायत को मिलेंगी। पहली किस्त रु. 19,75,025/– वन विभाग में दिनांक 21.1.2008 को जमा करवायी जा चुकी है तथा दूसरी किस्त रुपये 19,75,025/– ग्राम पंचायत में दिनांक 30–1–2008 को जमा करवायी जा चुकी है।

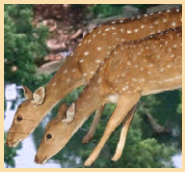

पुनः वृक्षारोपण :

उक्त क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण किया जावेगा। इस वृक्षारोपण को करने में प्रचलित मॉडल लागत अनुसार 16.50 लाख की आवश्यकता होगी जो प्रबन्ध योजना के अनुसार ग्राम पंचायत को प्राप्त चौथान राशि में से व्यय की जावेगी, इस वृक्षारोपण से प्राप्त आय का चौथान करीब 19.75 लाख होता है। अतः पुनः वृक्षारोपण के लिए बजट पर्याप्त मात्रा में ग्राम पंचायत के पास मौजूद है। उक्त वृक्षारोपण ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाया जावेगा। इस वृक्षारोपण में लगने वाले नीम, शीशम, देशी बबूल, बेर, अरडू, अकेशिया टोरटलिस ग्राम पंचायत के माध्यम से वन पौधशाला छांदेल में तैयार किये जावेंगे।

निष्कर्षतः ग्राम पंचायत बड़ौदिया ने वृक्षारोपण की पूर्ण सुरक्षा कर ग्राम व वन विकास के लिए अच्छी राशि प्राप्त की है। साथ ही वन विभाग को भी अपने इकरारनामे के अनुसार आधे हिस्से के रूप में लगभग 40 लाख रुपये प्राप्त हो जाएंगे। ग्राम पंचायत का यह प्रयास वन एवं ग्राम विकास में जन सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहां यह उल्लेख प्रासंगिक है कि इस वृक्षारोपण पर आरम्भ से अब तक बनवारी लाल शर्मा वनरक्षक तैनात रहे हैं।

सौजन्य वनमण्डल जयपुर (दक्षिण)

विदोहन उपरान्त वन उपज की निकासी

15

16वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता

16वीं अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में 1 से 5 फरवरी तक किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य वन विभाग की 29 सदस्यीय टीम ने भाग लिया। विभाग के कर्मठ खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन करते हुए निम्नानुसार 1 स्वर्ण, 7 रजत व 6 कांस्य पदक प्राप्त किए :

क्र. सं.	नाम स्पर्धा	खिलाड़ी	पदक
1.	जैवेलियन थ्रो वेटरन	रसिक बिहारी	स्वर्ण
2.	डिस्कस थ्रो सी. वेटरन	रसिक बिहारी	रजत
3.	लॉन टेनिस युगल सी. वेटरन	यू. एम. सहाय व अरुण सक्सेना	रजत
4.	टेबिल टेनिस वेटरन एकल	सतीश भार्गव	रजत
5.	टेबिल टेनिस वेटरन युगल	सतीश भार्गव व नारायण पारदासानी	रजत
6.	टेबिल टेनिस ओपन	सतीश भार्गव व नारायण पारदासानी	रजत
7.	टेनिस वेटरन एकल	राहुल भटनागर	रजत
8.	पावर लिफ्टिंग वेटरन	तेजकुमार	रजत
9.	टेनिस वेटरन एकल	यू. एम. सहाय	कांस्य
10.	टेनिस ओपन	राहुल भटनागर	कांस्य
11.	पावर लिफ्टिंग ओपन	तेजकुमार	कांस्य
12.	पावर लिफ्टिंग सी. वेटरन	महावीर सिंह	कांस्य
13.	लम्बी कूद वेटरन	श्री राम मीणा	कांस्य
14.	डिस्कस थ्रो वेटरन	रसिक बिहारी	कांस्य

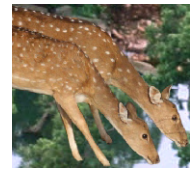

परिशिष्ट–1

राज्य का जिलेवार अभिलेखित वन क्षेत्र

राज्य के भिन्न–भिन्न जिलों में अभिलेखित वन क्षेत्रों की स्थिति भिन्न–भिन्न है। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में तथा न्यूनतम चूरू जिले में हैं। राज्य के सभी जिलों का वन क्षेत्र एवं उनमें वन आवरण की नवीनतम स्थिति का अवलोकन निम्न सारणी में किया जा सकता है।

राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र की स्थिति (2005)

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.)	वन क्षेत्र (वर्ग किमी.)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				
				अत्यधिक सघन	सघन	अनावृत्त	कुल	भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
अजमेर	8481	613.10	7.13	0	50	222	272	3.21
अलवर	8380	1784.14	21.29	14	369	828	1211	14.45
बांसवाड़ा+	5037	1236.67	24.55	0	48	322	370	7.35
बारां	6955	2231.71	32.08	0	135	948	1083	15.49
बाड़मेर	28387	609.10	2.14	0	12	157	169	0.60
भरतपुर	5066	382.39	7.54	0	38	198	236	4.66
भीलवाड़ा	10455	797.27	7.62	0	34	186	220	2.10
बीकानेर	27244	1202.94	4.41	0	37	162	199	0.73
बून्दी	5550	1509.17	27.19	0	143	302	445	8.02
चित्तौड़गढ़+	10856	2766.63	25.48	0	576	1098	1674	15.42
चूरू	16830	71.72	0.42	0	8	80	88	0.52
दौसा*	2950	282.63	9.58	0	–	–	-	-
धौलपुर	3034	638.45	21.04	0	101	318	419	13.81
डूंगरपुर+	3770	694.38	18.42	0	17	235	252	6.68
श्रीगंगानगर	7944	633.44	7.97	0	34	135	169	0.82
हनुमानगढ़*	12690	239.46	1.88	0	–	–	-	-
जयपुर	11588	948.07	8.18	0	113	510	623	4.43
जैसलमेर	38401	538.23	1.40	0	48	108	156	0.41
जालौर	10640	432.88	4.06	0	17	180	197	1.85
झालावाड़	6219	1345.72	21.63	0	83	312	395	6.35
झुन्झुनूं	5928	405.36	6.84	0	27	161	188	3.17
जोधपुर	22850	245.28	1.07	0	5	87	92	0.40
करौली*	5052	1802.06	35.67	0	–	–	-	-
कोटा	5481	1399.78	25.54	0	159	454	613	11.26
नागौर	17718	240.92	1.36	0	11	102	113	0.64
पाली	12387	960.80	7.76	0	209	410	619	5.00
राजसमंद	4768	396.57	8.32	0	130	288	418	10.83
सवाई माधोपुर	5005	992.13	19.82	0	298	996	1294	12.29
सीकर	7732	637.69	8.25	0	37	152	189	2.44
सिरोही+	5136	1598.76	31.13	0	305	580	885	17.23
टौंक	7194	331.56	4.61	0	35	132	167	2.32
उदयपुर+	12511	4581.23	36.62	0	1377	1717	3094	23.16
योग	**342239**	**32549.64**	**9.51**	**14**	**4456**	**11380**	**15850**	**4.63**

* दौसा, हनुमानगढ़ व करौली जिलों का वनावरण मूल जिलों क्रमश: जयपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर के साथ दर्शाया गया है क्योंकि इनकी सीमाएं पृथक् से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। + राज्य के आदिवासी जिले

स्रोत : वन स्थिति रिपोर्ट 2005 व वन सांख्यिकी 2005

परिशिष्ट–2

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2007–08

उपलब्धि माह जनवरी, 2008 तक

क्र.सं.	जिला	जिलेवार वृक्षारोपण के लक्ष्य व उपलब्धियां		जिलेवार पौधारोपण के लक्ष्य व उपलब्धियां	
		वृक्षारोपण लक्ष्य (हैक्टे.)	वृक्षारोपण उपलब्धियां (हैक्टे.)	पौधारोपण लक्ष्य (लाखों में)	पौधारोपण उपलब्धियां (लाखों में)
1.	अजमेर	1550	1550	10.075	9.235
2.	अलवर	650	650	4.225	4.510
3.	बांसवाड़ा	6200	6542	40.300	31.144
4.	बारां	–	–	0.000	14.000
5.	बाड़मेर	620	620	4.030	3.100
6.	भरतपुर	1075	1075	6.988	9.189
7.	भीलवाड़ा	1700	1720	11.050	15.060
8.	बीकानेर	2635	3052	17.128	15.660
9.	बूंदी	550	751	3.575	4.910
10.	चित्तौड़गढ़	1500	1550	9.750	10.025
11.	चूरू	1950	1950	12.675	12.650
12.	दौसा	1300	1375	8.450	12.592
13.	धौलपुर	300	328	1.950	3.188
14.	डूंगरपुर	4700	4865	30.550	21.177
15.	श्रीगंगानगर	360	361	2.340	2.780
16.	हनुमानगढ़	350	351	2.275	2.705
17.	जयपुर	2000	2000	13.000	16.910
18.	जैसलमेर	5890	6093	38.286	35.340
19.	जालौर	2250	2269	14.625	14.210
20.	झालावाड़	5400	5658	35.100	19.532
21.	झुन्झुनूं	2400	2434	15.600	15.579

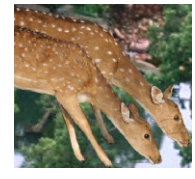

22.	जोधपुर	2200	2212	14.300	14.380
23.	करौली	1300	1326	8.450	11.977
24.	कोटा	140	346	0.910	2.340
25.	नागौर	3500	3562	22.750	23.850
26.	पाली	4800	4910	31.200	31.420
27.	राजसमन्द	750	800	4.875	5.950
28.	सवाईमाधोपुर	1300	1300	8.450	8.340
29.	सीकर	3550	4016	23.075	24.031
30.	सिरोही	3430	3536	22.295	10.789
31.	टोंक	650	650	4.225	4.900
32.	उदयपुर	15000	15282	97.500	66.517
	योग	**80,000**	**83,134**	**520.000**	**477.990**

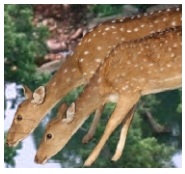

व्हाइट आई

परिशिष्ट–3

राज्य योजना से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2007–08 (दिसम्बर, 2007 तक)

क्र.सं.	नाम योजना	मूल बजट अनुमान	उपलब्धि (माह दिसम्बर, 2007 तक)
	वानिकी सेक्टर		
1.	वन्य जीव संरक्षण	331.54	86.04
2.	पर्यावरणीय वानिकी	292.15	186.96
3.	कृषि वानिकी	112.41	43.35
4.	संघनन, सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	20.64	1.00
5.	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	67.75	1.68
6.	संचार एवं भवन	0.01	–
7.	शोध एवं प्रशिक्षण	35.01	13.88
8.	जैव विविधता संरक्षण	24.53	3.40
9.	परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	6.20	3.03
10.	विश्व खाद्य कार्यक्रम	9.75	9.25
11.	सहरिया	0.01	–
	योग	**900.00**	**348.59**
	बारहवां वित्त आयोग	**500.00**	**72.86**
	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
1.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	5465.52	2680.55
	योग	**5465.52**	**2680.55**
	भू–संरक्षण सेक्टर		
1.	पर्वतीय एवं कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	35.13	14.81
2.	कारपस फण्ड	4.87	–
	योग	**40.00**	**14.81**
3.	बनास परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	120.13	109.74
4.	नदी घाटी परियोजनाओं में 10% राज्य हिस्सा	109.87	78.33
	योग	**230.00**	**188.07**
	राज्य आयोजना का कुल योग	**7135.52**	**3304.88**

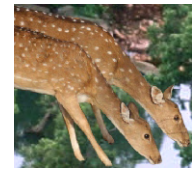

राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रगतिरत भौतिक उपलब्धियों का विवरण

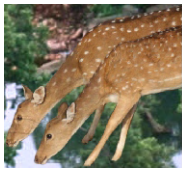

क्र.सं.	नाम योजना	इकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि (माह दिसम्बर, 07 तक)
1.	**वानिकी सेक्टर**			
	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	वर्ग किमी.	486	15.48
	पौध तैयारी	लाख	76.00	20.70
	पौध वितरण	लाख	54.30	44.12
	झालाना व आमेर का विकास			
	(अ) पक्की दीवार का निर्माण	रनिंग मीटर	9000	8790
	(ब) लूज स्टोन चैक डैम	घन मीटर	3000	3000
	(स) मृदा एवं नमी संरक्षण	संख्या	4	3
	खाद्य इकाइयों का वितरण	लाख	8.00	4.84
2.	**बारहवां वित्त आयोग**			
	(अ) पक्की दीवार का निर्माण	किमी.	44	–
	(ब) सीमा स्तम्भों का निर्माण	संख्या	7500	–
3.	**राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना**			
	वृक्षारोपण	हैक्टेयर	20700	20700
	उत्पादकता संवर्धन कार्य	हैक्टेयर	4000	1625
	पौध तैयारी	लाख	40.00	11.73
	पौध वितरण	लाख	40.00	37.63
	नमी संरक्षण संरचनाएं	लाख	466	30
4.	**मृदा संरक्षण**			
	(अ) वृक्षारोपण	हैक्टेयर	200	200
	(ब) अग्रिम मृदा कार्य	हैक्टेयर	210	50

परिशिष्ट–5

योजनावार उपलब्ध संसाधन : केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

वार्षिक योजना 2007–2008

नाम योजना	बजट अनुमान (2007–08)	व्यय (दिसम्बर, 07 तक)
वानिकी सेक्टर		
सांभर नम भूमि परियोजना	187.63	22.03
एकीकृत वन सुरक्षा योजना	203.25	5.05
बाघ परियोजना रणथम्भौर	245.00	106.83
बाघ परियोजना सरिस्का	395.00	36.81
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का विकास	60.00	9.70
अन्य अभयारण्यों का विकास	300.00	102.98
मरु राष्ट्रीय उद्यान का विकास	50.00	–
चिड़ियाघरों का विकास	0.02	–
योग (वानिकी सेक्टर)	**1440.90**	**283.40**
भू–संरक्षण सेक्टर		
चम्बल, कड़ाना व दांतीवाड़ा के आवाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण	396.00	729.13
बनास परियोजना क्षेत्र के आवाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण	1080.00	947.43
योग (भू–संरक्षण सेक्टर)	**1476.00**	**1676.56**
महायोग	**2916.90**	**1959.96**

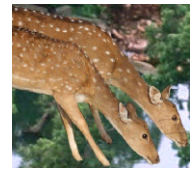

राज्य में गठित वन सुरक्षा एवं

क्र.सं.	जिला	मण्डल	समितियों की संख्या	पंजीकरण		पंजीकरण तिथि	सदस्यों का विवरण					महिला उप समिति			प्रबन्धित क्षेत्र			खाता विवरण			समितियों की आय		
				हाँ	नहीं		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	महिलाएं	हाँ	नहीं	सदस्यों की संख्या	वृक्षारोपण	वन खण्ड	क्षेत्रफल (है.)	बैंक खाता हाँ	बैंक खाता नहीं	राशि (लाख रुपये)	सदस्यता शुल्क	वन अपराध से शास्ती	वन उपज विक्रय से
1	2	3	4	5 a	5 b	6	7	8	9	10	11	12 a	12 b	13	14	15	16	17 a	17 b	18	19	20	21
1	2	3	4	5 a	5 b	6	7	8	9	10	11	12 a	12 b	13	14	15	16	17 a	17 b	18	19	20	21
1	अजमेर	अजमेर	128	116	12		3233	681	13162	**17076**	941	88	40	677	8340	50	8390	68	60	14.431	6432	529	3100
2	अलवर	अलवर	82	82	0		1324	807	5707	**7838**	3150	42	40	697	0	50	8307	33	49	1.263	25170	0	0
3	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	340	296	44		1109	69157	859	**71125**	34167	336	4	2921	0	339	43918	337	3	76.81	1883730	55000	1240000
4	बारां	बारां	213	162	51		3934	10419	19021	**33374**	13793	134	79	939	0	0	14913	35	178	0.87	0	0	114000
5	बाड़मेर	बाड़मेर	98	98	0		695	305	2361	**3361**	794	36	62	441	6262	5668	11930	46	52	0.23	0	0	3576
6	भरतपुर	भरतपुर	99	60	39		4756	1483	17606	**23845**	9161	60	39	446	1510	0	12975	74	25	3.845	0	0	0
7	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	188	173	15		1144	1939	5277	**8395**	1409	113	75	1218	7779	1698	11988	81	107	19.072	680	5000	0
8	बीकानेर	म.व.अ.	27	27	0		1174	10	2787	**3971**	94	27	0	182	0	0	0	0	27	0	0	0	0
		स्टेज-1	56	56	0		1150	179	4037	**5366**	2018	56	0	392	341.05	0	341.65	52	4	6.58	0	0	0
		स्टेज-2	33	33	0		308	54	2173	**2535**	610	30	3	194	6581	0	6581	31	2	1.21	800	0	0
		छत्तरगढ़	20	20	0		95	4	443	**542**	477	20	0	446	10077	0	10077	16	4	1.1	8000	0	0
		योग	**136**	**136**	0		**2727**	**247**	**9440**	**12414**	**3199**	**133**	**3**	**1214**	**16999**	**0**	**16999.65**	**99**	**37**	**8.89**	**8800**	**0**	**0**
9	बून्दी	बून्दी	151	151	0		2255	2653	6295	**11203**	895	43	108	286	0	0	31224.03	85	66	8.77	0	0	0
10	चित्तौड़गढ़	मण्डल	104	104	0		1603	2879	7493	**11133**	3498	93	11	675	5529	6576	12105	75	29	24.036	2500	0	65109
		वन्य जीव	38	38	0		144	2563	453	**3250**	1096	38	0	266	0	37	8679	33	5	6.682	19790	0	0
		प्रतापगढ़	187	150	37		3156	20338	2217	**25711**	9095	144	43	1013	16492	23473	39965	132	55	46.891	267494	0	13851
		योग	**329**	**292**	**37**		**4903**	**25780**	**10163**	**40094**	**13689**	**275**	**54**	**1954**	**22021**	**30086**	**60749**	**240**	**89**	**77.609**	**289784**	**0**	**78960**
11	चूरू	चूरू	107	107	0		231	17	910	**1158**	246	107	0	818	0	0	159165	23	84	20.01	0	0	0
12	दौसा	दौसा	175	164	11		1000	1432	3103	**5535**	295	95	80	616	0	0	18412	41	134	2.935	0	0	0
13	धौलपुर	धौलपुर	41	41	0		960	376	2162	**3498**	1547	41	0	332	2780	0	38980	36	5	0.329	3090	1200	300
14	डूँगरपुर	डूँगरपुर	267	221	46		1026	47943	3122	**52091**	23245	258	9	1757	0	0	27923	239	28	15.096	162034	1200	309633
15	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	40	40	0		1709		1676	**3385**	1500	40	0	280	475	4289.6	4764.61	15	25	1.232	0	0	0
16	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	35	35	0		1226	57	2498	**3781**	1013	35	0	229	1417.5	698.98	3283.48	17	18	0.57	0	15500	21900
17	जयपुर	उत्तर	109	100	9		1640	993	3895	**6528**	933	103	6	716	0	0	21399	44	65	0.95	23425	7079	47825
		मध्य	138	136	2		1234	2432	3263	**6929**	1884	101	37	960	0	0	11734	107	31	21.88	14719	0	177000
		दक्षिण	135	128	7		2686	1834	6721	**11241**	2033	53	82	433	0	0	5436	84	51	2.71	3000	4000	13332
		योग	**382**	**364**	**18**		**5560**	**5259**	**13879**	**24698**	**4850**	**257**	**125**	**2109**	**0**	**0**	**38569**	**235**	**147**	**25.54**	**41144**	**11079**	**238157**
18	जालौर	जालौर	61	41	20		2201	2198	6048	**10447**	2388	15	46	105	0	0	3482	2	59	0.31	23000	0	64000
19	जैसलमेर	डी.डी.पी.	71	23	48		500	153	2444	**3097**	477	16	55	242	0	0	8987	69	2	0.35	34712	0	0
		वि.खा.का.	30	30	0		388	74	618	**1080**	224	21	9	110	733	0	733	30	0	2.54	10500	0	81000
		मोहनगढ़	34	33	1		216	152	2100	**2468**	781	11	23	64	3506	0	3506	29	5	3.31	0	0	5000
		योग	**135**	**86**	**49**		**1104**	**379**	**5162**	**6645**	**1482**	**48**	**87**	**416**	**4239**	**0**	**13226**	**128**	**7**	**6.2**	**45212**	**0**	**86000**
20	झालावाड़	झालावाड़	165	165	0		2386	2291	10097	**14774**	2852	140	25	1000	0	0	14124	68	97	3.39	22000	0	0
21	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	63	56	7		316	43	1134	**1493**	302	44	19	322	0	0	5498	5	58	0.01	0	0	0
22	जोधपुर	जोधपुर	95	13	82		5203	2173	15013	**22389**	5205	71	24	224	0	0	14739.94	2	93	0.01	0	0	0
23	करौली	करौली	100	15	85		1251	1888	2199	**5338**	0	88	12	746	0	30	695	15	85	0.18	0	0	0
24	कोटा	कोटा	119	113	6		781	950	1847	**3578**	1114	79	40	1281	0	0	17716	42	77	0.564	0	0	2445
		वन्य जीव	12	12	0		68	66	248	**382**	131	10	2	70	0	0	0	9	3	0.03	0	0	0
		योग	**131**	**125**	**6**		**849**	**1016**	**2095**	**3960**	**1245**	**89**	**42**	**1351**	**0**	**0**	**17716**	**51**	**80**	**0.594**	**0**	**0**	**2445**
25	नागौर	नागौर	113	27	86		1577	24	3867	**5468**	292	11	102	80	0	0	9703	4	109	0.01	0	0	0
26	पाली	पाली	187	187	0		3388	3022	7775	**14185**	5404	179	8	1274	130	57	12393	67	120	8.806	0	0	0
27	राजसमन्द	राजसमन्द	121	116	5		2002	3539	15079	**20620**	8644	120	1	907	0	758	10592	97	24	28.491	131000	0	5000
28	स.माधोपुर	मण्डल	64	64	0		1227	1279	2466	**4972**	1251	64	0	1089	0	0	5444	55	9	45	20633	0	4669
		कोर	24	22	2		65	17	112	**194**	54	13	11	93	0	0	1250	23	1	4.2	0	0	0
		योग	**88**	**86**	**2**		**1292**	**1296**	**2578**	**5166**	**1305**	**77**	**11**	**1182**	**0**	**0**	**6694**	**78**	**10**	**49.2**	**20633**	**0**	**4669**
29	सीकर	सीकर	152	152	0		2329	553	9471	**12353**	3812	111	41	902	0	0	25123	80	72	4.46	0	0	33956
30	सिरोही	मण्डल	59	59	0		1197	2670	2183	**6050**	1864	59	0	406	0	0	8683.2	55	4	33.57	69704	0	0
		मा.आबू	9	9	0		63	290	46	**399**	93	9	0	63	0	0	950	9	0	2.89	289000	0	0
		योग	**68**	**68**	**0**		**1260**	**2960**	**2229**	**6449**	**1957**	**68**	**0**	**469**	**0**	**0**	**9633.2**	**64**	**4**	**36.46**	**358704**	**0**	**0**
31	टोंक	टोंक	85	85	0		2350	1300	5968	**9618**	2548	52	33	411	8938.5	0	9074.5	48	37	6.265	0	0	0
32	उदयपुर	उत्तर	158	151	7		1464	18097	8724	**28285**	12022	144	14	5027	35185	0	35185	130	28	17.902	152453	0	249247
		दक्षिण	132	129	3		165	20148	745	**21058**	9267	115	17	875	0	0	26221.7	118	14	71.098	434493	0	15005
		मध्य	173	164	9		153	20655	805	**21613**	9471	167	6	1211	0	167	49881	162	11	67.3	262101	0	0
		वन्य जीव	44	39	5		603	3898	3752	**8253**	1013	37	7	272	0	0	2850	34	10	51.255	22600	1500	0
		योग	**507**	**483**	**24**		**2385**	**62798**	**14026**	**79209**	**31773**	**463**	**44**	**7385**	**35185**	**167**	**114137.7**	**444**	**63**	**207.555**	**871647**	**1500**	**264252**
		महायोग	**4882**	**4243**	**639**		**67685**	**254035**	**219982**	**540985**	**183103**	**3669**	**1213**	**33708**	**116076**	**43892**	**779322.1**	**2857**	**2025**	**629.443**	**3893060**	**91008**	**2469948**

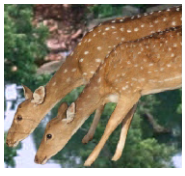

प्रबन्ध समितियों की सूचना

परिशिष्ट–6

लाभ										लाभार्थियों की संख्या	दक्षता श्रेणी			सूक्ष्म नियोजन हाँ/नहीं	प्रबन्ध योजना हाँ/नहीं	सम्बद्ध आजीविका संस्था	असुरक्षण कोश		स्वयं सहायता समूह					विशेष विवरण
अन्य	योग	घास		लघु वन उपज		अन्य		योग									हाँ/नहीं	राशि	स्त्री	पुरुष	अन्य	योग	राशि (लाख रुपये में)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य		ए	बी	सी											
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 a	33 b	33 c	34	35	36	37	38	39 a	39 b	39 d	39 c	39d	40
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 a	33 b	33 c	34	35	36	37	38	39 a	39 b	39 d	39 c	39d	40
1432452	**1442513**	10832.73	0	0	0	773	75455	**11605.73**	**1745130**	5492	59	0	69	80	22	0	28	1443064	7	12	0	19		
0	**25170**	1465	440000	185	18500			**1650**	**458500**	766	10	11	61						1	11	0	12		
3537900	**6716630**	79417	15895000	0	118000		37000	**79417**	**16050000**	28509	148	100	92	153	10		130	4965900	190	74	0	264	17.834	
1000	**115000**	8317	312000	25	1000			**8342**	**313000**	11898	45	44	124					27000	50	0	0	50		
0	**3576**	5944	297175	0	0			**5944**	**297175**	1364	3	19	76	86	86				0	0	0	0		
0	**0**	0	0	0	0			**0**	**0**	0	19	6	74	94	34		20		8	91	0	99		
0	**5680**	166960	166960	167160	167160	3273		**337393**	**334120**	0	58	0	130						17	0	0	17		
0	**0**	0	0	0	0				**0**		2	0	25		0	0			0	0	0	0		
0	**0**	850	170000	0	0	0	0	**850**	**170000**	400	25	16	15	44	2	0	23	365000	4	5	0	9	0	
0	**800**	0	0	0	0				**0**		0	25	8	18	0		11	1466000	6	1	0	7	0.04	
0	**8000**	0	0	0	0				**0**		9	0	11	9	0				0	0	0	0		
0	**8800**	**850**	**170000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850**	**170000**	**400**	**36**	**41**	**59**	**71**	**2**	**0**	**34**	**1831000**	**10**	**6**	**0**	**16**	**0.04**	**0**
0	**0**	0	0	0	0			**0**	**0**	29800	61	44	46						3	0	0	3		
605023	**672632**	40856	610136	0	0	30	20200	**40886**	**630336**	2612	16	39	49					4400000	38	0	0	38	0.6	
636433	**656223**	1340	201000	0	0			**1340**	**201000**	450	0	22	16	29	1		32	1588000	38	16	0	54		
292237	**573582**	8603	927660	175	183600	8462	624650	**17240**	**1735910**	9931	62	22	103	106	81		85	4501458	36	21	0	57		
1533693	**1902437**	**50799**	**1738796**	**175**	**183600**	**8492**	**644850**	**59466**	**2567246**	**12993**	**78**	**83**	**168**	**135**	**82**	**0**	**117**	**10489458**	**112**	**37**	**0**	**149**	**0.6**	**0**
0	**0**	630	0	0	0			**630**	**0**	135	12	88	7						0	0	0	0		
0	**0**	2404	104075	2800	10400			**5204**	**114475**	3437	37	76	62	69	91		5	26500	37	138	0	175	0.58	
62	**4652**	183	2720	56	5600	0	0	**239**	**8320**	298	13	15	13	0	17		12	215864	32	9	0	41		
537313	**1010180**	74340.5	14756600	150	30000			**74490.5**	**14786600**	33340	42	94	131	80	3		78	4675232	0	27	0	27	6.942	
0	**0**	800	150000	0	0			**800**	**150000**	318	3	0	37	16	16		13	101003	0	0	0	0		
0	**37400**	0	0	0	0			**0**	**0**		9	9	17	4					0	0	0	0		
0	**78329**	1500	300000	0	12661			1500	**312661**	446	9	45	55						14	15	0	29		
7195	**198914**	5693	569300	0	30000			5693	**599300**	4688	38	30	70						5	4	0	9		
116367	**136699**	39300	1902595	27	25000	2310	16500	**41637**	**1944095**	110273	32	41	62	39			5	416200	4	6	0	10		
123562	**413942**	**46493**	**2771895**	**27**	**67661**	**2310**	**16500**	**48830**	**2856056**	**115407**	**79**	**116**	**187**	**39**	**0**	**0**	**5**	**416200**	**23**	**25**	**0**	**48**	**0**	**0**
0	**87000**	1872	316000	0	0			**1872**	**316000**	557	10	16	35						0	0	0	0		
563	**35275**	0	0	0	0			**0**	**0**	695	1	4	66						8	0	0	8		
0	**91500**	0	0	0	0				**0**	0	8	18	4	30	0		15	500000	6	6	0	12		
2000	**7000**	1476	167000	0	0			**1476**	**167000**	322	2	8	24	20	0		0		3	4	0	7	3.27	
2563	**133775**	**1476**	**167000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1476**	**167000**	**1017**	**11**	**30**	**94**	**50**	**0**	**0**	**15**	**500000**	**17**	**10**	**0**	**27**	**3.27**	**0**
0	**22000**	939.7	60000	0	0		23000	**939.7**	**83000**	6246	45	9	111					550000	17	0	0	17		
2940	**2940**	8502.44	183000	348	4870	1880	12580	**10730.44**	**200450**	2146	3	21	39					1300	0	0	0	0		
0	**0**	532	18600	20	200			**552**	**18800**	196	1	41	53						0	0	0	0		
0	**0**	0	0	0	0			**0**	**0**	1100	39	7	54	0	83		3	50882	0	100	0	100		
0	**2445**	6641	35211	0	0			**6641**	**35211**	1519	15	37	67	46	12		5	152109	0	0	0	0		
0	**0**	0	0	0	0			**0**	**0**		6	6	0						0	0	0	0		
0	**2445**	**6641**	**35211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6641**	**35211**	**1519**	**21**	**43**	**67**	**46**	**12**	**0**	**5**	**152109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	0	0	0	0			**0**	**0**		6	20	87						0	0	0	0		
21921	**21921**	15826	0	0	0			**15826**	**0**	10197	19	40	128	149	97		52	2460364	7	1	0	8		
400000	**536000**	5822	269752	400	94303			**6222**	**364055**	2919	44	25	52	121	121	52	69	1023236	11	10	0	21		
0	**25302**	3466	824000	0	0			**3466**	**824000**	3345	39	16	9					90000	0	0	0	0		
0	**0**	0	0	0	0			**0**	**0**		19	2	3					1517200	3	4	0	7		
0	**25302**	**3466**	**824000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3466**	**824000**	**3345**	**58**	**18**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1607200**	**3**	**4**	**0**	**7**	**0**	**0**
58000	**91956**	0	221000	10306	22000			**10306**	**243000**	43864	17	66	69					135000	7	5	0	12	0.25	
905539	**975243**	1056.46	69967	0	0			**1056.46**	**69967**	2069	21	15	23	50	46			217559	5	2	0	7	0.006	
0	**289000**	0	0	0	0			**0**	**0**		2	4	3					500000	0	1	0	1		
905539	**1264243**	**1056.46**	**69967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1056.46**	**69967**	**2069**	**23**	**19**	**26**	**50**	**46**	**0**	**0**	**717559**	**5**	**3**	**0**	**8**	**0.006**	**0**
71929	**71929**	2406	240300	634.1	54445	150	7500	**3190.1**	**302245**	2054	41	10	34					1731922	2	4	0	6	0.01	
1388549	**1790249**	233739.2	2286777	0	0	14585	67966	**248324.2**	**2354743**	213861	27	80	51	136	64		38	1994041	15	30	0	45	3.98	
3357123	**3806621**	14311	2172240	8	8000	0	0	**14319**	**2180240**	20135	51	38	43	102	26	1	0	3251532	19	6	0	25	0.67	
6467948	**6730049**	56209	4630950	63	274500	0	371000	**56272**	**5276450**	15082	77	44	52	133	2		82	5024379	0	0	0	0	0	
0	**24100**	0	0	0	0				**0**		4	29	11	33	0		0		4	4	0	0	0	
11213620	**12351019**	**304259.2**	**9089967**	**71**	**282500**	**14585**	**438966**	**318915.2**	**9811433**	**249078**	**159**	**191**	**157**	**404**	**92**	**1**	**120**	**10269952**	**38**	**40**	**0**	**78**	**4.65**	**0**
19842494	**26296510**	**802234.03**	**48300018**	**182357.1**	**1060239**	**31463**	**1255851**	**1016054.13**	**52285783**	**570464**	**1209**	**1302**	**2371**	**1647**	**814**	**53**	**706**	**43390745**	**597**	**607**	**0**	**1204**	**34.182**	**0**

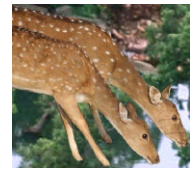

भू एवं जल संरक्षण

बाढ़ सम्भावित नदी – बनास परियोजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2007–08 में कराये गये विकास कार्यों की सूची :

क्र.सं.	उप जलग्रहण क्षेत्र का नाम	भौतिक उपलब्धि (माह दिसम्बर, 07 तक) (हैक्टर)
1.	चांदली	49
2.	लबाना	478
3.	अकोडिया	143
4.	खरोई	192
5.	डिंगारिया	493
6.	लालगढ़	1612
7.	भाड़ौती	721
8.	कोडियाई	1823
9.	मुचकंदपुरा	297
10.	जेल	376
11.	सहादतनगर	198
12.	बालागढ़	718
13.	मोराडूंगर	492
14.	गैरोटी	153
15.	रेबाली	659
16.	विजयगढ़	145
17.	नैनवा की गुवाड़ी	885
18.	गुरई	702
19.	लक्ष्मीपुरा	551

क्र.सं.	उप जलग्रहण क्षेत्र का नाम	भौतिक उपलब्धि (माह दिसम्बर, 07 तक) (हैक्टर)
20.	डिडावता	272
21.	गोरधनपुरा	307
22.	नयागांव	128
23.	रायपुरा	172
24.	मोरला	169
25.	लाबा हरिसिंह	187
26.	महादेवपुरा	138
27.	चांदवाड़	407
28.	सूजिया भेरू	92
29.	झालरा	10
30.	तामड़िया	34
31.	सुरली	294
32.	अडुसिया	278
33.	बालथल	92
34.	बांसला	140
35.	पावडेरा	280
36.	गुनशिला	308
37.	जगमोदा	120
38.	टोकरावास	2

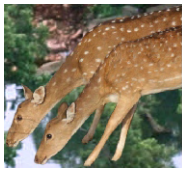

परिशिष्ट–7

भू एवं जल संरक्षण

नदी घाटी परियोजना (आर. वी. पी.) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में कराये गये विकास कार्यों की सूची :

क्र.सं.	उप जलग्रहण क्षेत्र का नाम	भौतिक उपलब्धि (माह दिसम्बर, 07 तक) (हैक्टर)
(i)	नदी घाटी परियोजना – चम्बल	
1.	अम्बा की खाल	10
2.	मगरोरा	19
3.	बासोतिया	40
4.	बंसा	53
5.	माण्डवी	170
6.	छितोरिया	75
7.	खलगांव	55
8.	हामिया कूरी	75
9.	जाम्बूदीप	545
10.	खेडा जाम्बूदीप	225
11.	भाण्डा कूरी	645
12.	बोरकूई	90
13.	कून्ती I	65
14.	कुन्ती II	90
15.	अम्बा देवरा	175
16.	दौलतपुरा	110
17.	झामरिया	40
18.	मूण्डला	195
19.	खुमठिया	305
20.	खांखरी	340

क्र.सं.	उप जलग्रहण क्षेत्र का नाम	भौतिक उपलब्धि (माह दिसम्बर, 07 तक) (हैक्टर)
(ii)	नदी घाटी परियोजना – माही	
1.	क्रियावाद	280
2.	सरवान	745
3.	मोखमपुरा	473
4.	बस्सी	510
5.	माकनपुरा	155
6.	मनोहरगढ़	620
7.	थेसला	795
8.	तेजपुर	205
(iii)	नदी घाटी परियोजना – दाँतीवाड़ा	
1.	छीतरिया	335
2.	नवाबास	370
3.	रोहिड़ा	155
4.	जायदरा	409
(iv)	नदी घाटी परियोजना –साबरमती	
1.	सुलाव	275
2.	नयाबास	194
3.	सेण्डमारिया	142

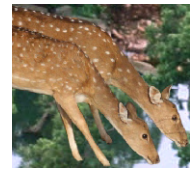

राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्य	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
	राष्ट्रीय उद्यान		
1.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73
2.	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाईमाधोपुर	392.50
	अभयारण्य		
1.	सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य	अलवर	557.50
2.	मरु वन्य जीव अभयारण्य (डी.एन.पी.)	बाड़मेर, जैसलमेर	3162.50
3.	सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	127.76
4.	कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य	करौली, सवाईमाधोपुर	676.40
5.	कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर, राजसमन्द, पाली	608.57
6.	फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर	492.68
7.	टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य	अजमेर, पाली, राजसमन्द	463.03
8.	सीता माता वन्य जीव अभयारण्य	चित्तौड़गढ़, उदयपुर	422.94
9.	रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य	बून्दी	252.79
10.	जमवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	जयपुर	300.00
11.	माउन्ट आबू वन्य जीव अभयारण्य	सिरोही	112.98
12.	राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव अभयारण्य	कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली	280.00
13.	दर्रा वन्य जीव अभयारण्य	कोटा, झालावाड़	274.41
14.	भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	229.14
15.	बंध बरेठा वन्य जीव अभयारण्य	भरतपुर	199.50
16.	बस्सी वन्य जीव अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69
17.	जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य	बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़	153.41
18.	शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	बारां	98.70
19.	जयसमन्द वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर	52.34
20.	नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	जयपुर	50.00
21.	रामसागर वन्य जीव अभयारण्य	धौलपुर	34.40
22.	वन विहार वन्य जीव अभयारण्य	धौलपुर	25.60
23.	केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य	धौलपुर	14.76
24.	तालछापर वन्य जीव अभयारण्य	चूरू	07.19
25.	सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर	05.19
		योग	**9161.21**

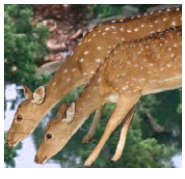

परिशिष्ट–9

वनों से आय

वन विकास कार्यों से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज निःशुल्क स्थानीय ग्रामवासियों को उपलब्ध कराने के फलस्वरूप वर्तमान में वनों से प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष आय मुख्यतया तेन्दू पत्ता इकाइयों की नीलामी तथा विभागीय रूप से संग्रहित पत्ते के विपणन, बांस विदोहन एवं इमारती लकड़ी के विक्रय तक सीमित रह गई है। प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है :–

राजस्व प्राप्तियों का विवरण

(राशि लाख रु. में)

लेखे का शीर्ष	वास्तविक प्राप्तियां		माह दिसम्बर, 07 तक कुल प्राप्तियां
	2006–07	2007–08	
0406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01 वानिकी			
101 लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री			
(01) इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री	8.76	0.19	34.54
(02) जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2339.02	1900.00	829.23
(03) बांस से प्राप्तियां	144.23	170.00	104.26
(04) घास तथा वन की शुद्ध उपज	76.90	50.00	65.20
(05) तेन्दू पत्ता व्यापार योजना			
(01) तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	377.69	1000.00	1202.30
(02) अन्य विविध प्राप्तियां	2.47	5.00	9.03
(06) काष्ठ निर्माण केन्द्र, जयपुर	0.30	–	–
योग 101	**2949.07**	**3125.19**	**2244.56**
800 अन्य प्राप्तियां			
(01) अर्थदण्ड और राजसात्करण	466.32	500.70	300.66
(02) शिकार अनुज्ञा शुल्क	7.76	–	0.13
(03) व्ययगत निक्षेप	6.08	0.20	2.44
(04) जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती ऐसे वनों से आय	0.08	0.15	0.24
(05) अन्य विविध प्राप्तियां	590.61	700.00	252.37
योग 500	**1071.05**	**1201.05**	**555.84**
02 पर्यावरणीय वानिकी और वन्य प्राणी			
111 प्राणी उद्यान			
(01) चिड़ियाघर से प्राप्तियां	131.29	153.75	121.36
800 अन्य प्राप्तियां			
(01) इको डवलपमेंट से आय	245.53	275.00	141.96
योग 02	**376.82**	**428.75**	**263.32**
महायोग 0406	**4397.74**	**4755.00**	**3063.72**